CORRIGENDUM-E-AUCTION SALE NOTICE DATED 03.04.2024 IN THE MATTER OF M/S UTM ENGINEERING PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) ("CORPORATE DEBTOR")

This corrigendum is issued in continuation of notice dated 03.04.2024, given to the public in general under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, and Regulations in the matter of E-Auction of M/s UTM Engineering Private Limited (in Liquidation) (**"Corporate Debtor**") through e-auction platform.

In E-Auction Sale Notice dated 03.04.2024, the following amendments are made:

In Block A Point -1, Lot - 1: Plant & Machinery at Dausa, Rajasthan (Situated at Lalsot Tunnel). ***"Reserve Price shall be Rs. 35,56,188/- (instead of Rs. 36,97,748/-) and EMD shall be Rs. 3,55,600/-."*** **(Instead of *3,70,000/-)***

In Block A Point -4, Lot 4: Single Car (Wagon-R) having Registration No- DL 9C AL 4941 at New Delhi: ***"Reserve Price shall be Rs. 1,41,560/- (Instead of Rs. 85,100/-) and EMD shall be Rs. 14,200/-."*** **(Instead of Rs. 8,500/-)**

All other contents of the advertisement of E-Auction Sale Notice dated 03.04.2024 will remain the same.

Sd/-
Kanti Mohan Rustagi
Liquidator
In the matter of UTM Engineering Private Limited
Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00097/2017 18/10240
AFA No- AA2/10240/02/290125/203239
AFA Valid upto- 29.01.2015
Date: 04.04.2024

"FORM NO. INC-26"

[Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Before the Central Government Northern Region In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

IN THE MATTER OF

PEOPLES BEAT MICROCARE FOUNDATION (CIN : U85300DL2022NPL395501)

A COMPANY REGISTERED UNDER THE COMPANIES ACT, 2013 HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT HOUSE NO-44, GALI NO-7/3, SHAKTI VIHAR BADARPUR, SOUTH DELHI-110044 INDIA

.....Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 25.03.2024 to enable the company to change its Registered Office from **"National Capital Territory of Delhi"** to **"State of Uttar Pradesh"**.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address **Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003** within Thirty days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:-

HOUSE NO-44, GALI NO-7/3, SHAKTI VIHAR BADARPUR, SOUTH DELHI-110044 INDIA

For and on behalf of
PEOPLES BEAT MICROCARE FOUNDATION
Sd/-
SAURABH SINGH
DIRECTOR
DIN : 08189679

Date : 25.03.2024
Place : Delhi

PUBLIC NOTICE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, REGISTRAR OF COMPANIES, DELHI & HARYANA

Advertisement for change of Registered Office of the LLP from one State to another

In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 read with Rule 17(4) of the Limited Liability Partnership Rules, 2009

AND

In the matter of

AARIZE LIFESPACES LLP (LLPIN: ACB-1335)

having its Registered Office at

MB-05, Prakash Deep Building, 7, Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi - 110 001

.....**Petitioner**

Notice is hereby given to the general public that **AARIZE LIFESPACES LLP** proposes to make a petition to Registrar of Companies, Delhi & Haryana under section 13(3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the "**National Capital Territory of Delhi"** to the **"State of Haryana".**

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver either on **MCA-21 Portal on (www.mca.gov.in)** by filling investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his / her objections supported by an affidavit stating the his/her interest and grounds of oppositions to the **Registrar of Companies, Delhi & Haryana at 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi-110019** within Twenty One days (21) from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its Registered Office at the address mentioned below :-

MB-05, Prakash Deep Building, 7, Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi - 110 001

For & On Behalf of **AARIZE LIFESPACES LLP**
Sd/-
AMAN SHARMA (Designated Partner)
DPIN : 00381637
Date :04.04.2024 | **Place** : New Delhi

FORM NO. INC-26

[Pursuant to the Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the Company from one state to another

Before the Central Government Regional Director, Northern Region

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of **Air India Sats Airport Services Private Limited (CIN: U74900DL2010PTC201763)** having its registered office at Airlines House 113, Gurdwara Rakabganj Road, New Delhi -110001

.....**Peti tioner**

Notice

Notice is hereby given to the general public that the company proposes to make application to the Central Government, Regional Director, Northern Region under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on Friday 22nd March, 2024 to enable the company to change its Registered Office from the State of Delhi to the State of Haryana.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on MCA21 Portal (www.mca.gov.in) by filing investor compliant form or cause to be delivered or send by registered post his/her objection duly supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to The Regional Director, Northern Region at the address: B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, 2nd Floor, CGO Complex, New Delhi-110003, within 14 (fourteen) days from the date of publication of this notice along with a copy of the applicant company at its registered office at Airlines House 113, Gurdwara Rakabganj Road, New Delhi -110 001

For and on behalf of Air India Sats Airport Services Private Limited
Sd/-
Sonal Surendra Dandekar
Company Secretary

Place: Delhi
Date: 4th April, 2024

Form No. INC-26

{Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014}

Before the Central Government (Regional Director, Northern Region)

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of

JMS INFRA REALITY PRIVATE LIMITED

(CIN : U45209HR2019PTC082137)

having its Registered Office at

Plot No. 2380-Sp, Sector 46, Gurugram, Haryana-122001

.....**Applicant Company / Petitioner**

NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on **12th March, 2024** to enable the company to change its Registered Office from **"State of Haryana"** to the **"National Capital Territory of Delhi".**

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the **MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form** or cause to be delivered or send by registered post of his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the **Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003** within fourteen (14) days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the address mentioned below:-

Plot No. 2380-Sp, Sector 46, Gurugram, Haryana-122001

For & on behalf of
JMS INFRA REALITY PRIVATE LIMITED
Sd/-
PUSHPENDER SINGH
(DIRECTOR)
DIN: 05285050

Date : 04.04.2024
Place : Gurugram

BANK OF BARODA

BRANCH – Sethgali, Farrukhabad (U.P.)- 209625
Mob: 8477009377; E-MAIL: blyfkd@bankofbaroda.com

E-AUCTION SALE NOTICE

[Appendix IV-A (Provision to Rule 8(6) & 6(2)] Sale Notice for Sale of Immovable Properties

E-Auction Sale Notice for sale of Immovable Assets under the securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision of Rule 8 (6) & 6 (2) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantors(s) that the below described immovable Property mortgaged/charged to the Bank of Baroda, the Physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, will be sold on "As is where is, As is what is", and "Whatever there is" basis for realization of the debts due to Bank, Further details of property are mentioned below:

Name of the Borrowers/Guarantors & Address	Total Dues	Description of Property	Type of Possession	Reserve Price / EMD 10% / Bid Increment Amount
Shri Vaseem Khan S/o Shri Rahmat Ullah Khan (Borrower), Mrs. Shahroz Jahan W/o Shri Waseem Khan (Guarantor) Both R/o 4/14, Ward No. 30, Talaiya, Sahab Jadgan, Farrukhabad, U.P.-209625	**Rs. 14,03,610.00** as on 04.04.2024 & others exp. till Date.	All that part and parcel on the Property consisting of Land & building Situated Plot No. 4/17B, Moh-Talaiya Sahab Jadgan, Tehsil- Sadar, District Farrukhabad UP-209625. Admeasuring 97.65 Sq. Mtr., Property in the name of Mr. Vaseem Khan S/o Shri Rahmat Ullah Khan. **Bounded By:** East – Nikas Gali 8' wide, West – H/o Ram Beti Etc., North – Maszid & H/o Asif, South – Plot of Nadeem Ahmad.	Physical Possession	**Rs. 12,54,420/-** / **Rs 1,26,000/-** / **Rs 10,000/-**

DATE OF E-AUCTION: 10.05.2024, Time:02:00 Pm to 06:00 PM, Last Date and Time for submission of EMD amount is : 09.05.2024 upto 5:00 PM
Property Inspection Date & Time: 29.04.2024 Time: 12.00 to 4.00 PM

The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website https://www.mstcecommerce.com on the date and time mentioned above. The interested bidders may submit EMD through DD/NEFT or RTGS, in the respective EMD Collection Account the intending Bidders/Purchasers are required to participate in the E-Auction process at e-Auction Service Provider's website https:www.mstcecommerce.com. This service Provider will also provide online demonstration/training on e-Auction on the portal. The Sale Notice containing the General Terms and Conditions of Sale is available/published in the Banks websites/webpage portal. https://ibapi.in and http://www.mstcecommerce.com

For detailed terms & conditions.

For further details of Terms & Conditions of Sale Please refer to link provided in Secure Creditor-https://www.bankofbaroda.com STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) & 6(2)/RULE 9(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002 This may also be treated as notice u/r 8(6) & 6(2)/Rule 9(1) of Security interest (Enforcement) Rules, 2002 to the borrower/s and guarantor/s of the said loan about the holding of E-Auction Sale on the above mentioned date.

Date: 05.04.2024 Authorised Officer

PUBLIC NOTICE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, REGISTRAR OF COMPANIES, DELHI & HARYANA

Advertisement for change of Registered Office of the LLP from one State to another

In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 read with Rule 17(4) of the Limited Liability Partnership Rules, 2009

AND

In the matter of

AARIZE TOWNSHIP LLP (LLPIN: ACB-1334)

having its Registered Office at

MB-05, Prakash Deep Building, 7, Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi - 110 001

.....**Petitioner**

Notice is hereby given to the general public that **AARIZE TOWNSHIP LLP** proposes to make a petition to Registrar of Companies, Delhi & Haryana under section 13(3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the "**National Capital Territory of Delhi"** to the **"State of Haryana".**

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver either on **MCA-21 Portal on (www.mca.gov.in)** by filling investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his / her objections supported by an affidavit stating the his/her interest and grounds of oppositions to the **Registrar of Companies, Delhi & Haryana at 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi-110019** within Twenty One days (21) from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its Registered Office at the address mentioned below :-

MB-05, Prakash Deep Building, 7, Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi - 110 001

For & On Behalf of **AARIZE TOWNSHIP LLP**
Sd/-
AMAN SHARMA (Designated Partner)
DPIN : 00381637
Date :04.04.2024 | **Place** : New Delhi

PUBLIC NOTICE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, REGISTRAR OF COMPANIES, DELHI & HARYANA

Advertisement for change of Registered Office of the LLP from one State to another

In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 read with Rule 17(4) of the Limited Liability Partnership Rules, 2009

AND

In the matter of

AARIZE REALTECH LLP (LLPIN: ACB-1333)

having its Registered Office at

MB-05, Prakash Deep Building, 7, Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi - 110 001

.....**Petitioner**

Notice is hereby given to the general public that **AARIZE REALTECH LLP** proposes to make a petition to Registrar of Companies, Delhi & Haryana under section 13(3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the "**National Capital Territory of Delhi"** to the **"State of Haryana".**

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver either on **MCA-21 Portal on (www.mca.gov.in)** by filling investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his / her objections supported by an affidavit stating the his/her interest and grounds of oppositions to the **Registrar of Companies, Delhi & Haryana at 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi-110019** within Twenty One days (21) from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its Registered Office at the address mentioned below :-

MB-05, Prakash Deep Building, 7, Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi - 110 001

For & On Behalf of **AARIZE REALTECH LLP**
Sd/-
AMAN SHARMA (Designated Partner)
DPIN : 00381637
Date :04.04.2024 | **Place** : New Delhi

Form No. INC-26

{Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014}

Before the Central Government (Regional Director, Northern Region)

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of

JMS INFRA REALITY PRIVATE LIMITED

(CIN : U45209HR2019PTC082137)

having its Registered Office at

Plot No. 2380-Sp, Sector 46, Gurugram, Haryana-122001

.....**Applicant Company / Petitioner**

NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on **12th March, 2024** to enable the company to change its Registered Office from **"State of Haryana"** to the **"National Capital Territory of Delhi".**

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the **MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form** or cause to be delivered or send by registered post of his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the **Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003** within fourteen (14) days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the address mentioned below:-

Plot No. 2380-Sp, Sector 46, Gurugram, Haryana-122001

For & on behalf of
JMS INFRA REALITY PRIVATE LIMITED
Sd/-
PUSHPENDER SINGH
(DIRECTOR)
DIN: 05285050

Date : 04.04.2024
Place : Gurugram

U. P. STATE SUGAR CORPORATION LTD.

VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-226010
Ph. No. 0522-2307826/28 www.upsugcorp.in
Email : upstatesugarcorporation@gmail.com

Ref.No.: PUR/SSC/Tender/2024-25/11 **Dated :** 04.04.2024

e-Tender Notice

In continuation to previous tenders published on 24.02.2024, online e-tenders are invited from manufacturers/authorized distributors /Importers/ Authorized dealers (as per details given in tender documents) for supply of Stainless Steel Tubes, Boiler Tubes, Roller shaft, Nickel Screen, Cast Steel Items & Motors to various Sugar Factories of U. P. State Sugar Corporation Ltd.. The e-tender documents with detailed specifications, make, terms and conditions etc., can be downloaded from e-tender portal **http://etender.up.nic.in** & Sugar Corporation's website: **www.upsugcorp.in** from **05.04.2024.**

The Managing Director, Sugar Corporation reserves the right to cancel any or all bids/annul e-bidding process without assigning any reason to & decision of Corporation will be final & binding.

MANAGING DIRECTOR

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL -II, DELHI.

4TH FLOOR JEEVAN TARA BUILDING PARLIAMENT STREET NEW DELHI - 110001,

Notice under section 19(4) of the Recovery of Debts Due to Bank and Financial Institutions Act 1993 read with rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rule) 1993) in the matter of

TA NO 2116/2022 **DATE: 19.03.2024**

YES BANK LTD. **APPLICANT**

VERSUS

SANJEEV KUMAR **RESPONDENT**

To,

DEFENDANT

SANJEEV KUMAR S/O INDERPAL

91 ROOPVAS GAUTAM BUDH NAGAR NR PRIMARY SCHOOL NOIDA UP - 203207

ALSO AT ZAIKA RESTAURANT SHOP NO G-11 TRADEX TOWER-2 ALPHA-1 GREATER NOIDA UP

Whereas the above named applicant (s) has / have instituted a case for recovery of **Rs. 24,61,788/-(RUPEE TWENTY FOUR LAKH SIXTY ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED EIGHTY EIGHT ONLY)** against you and where as it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in the ordinary way therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance in the Tribunal on 06.08.2024 At 10.30 A.M.

Take notice that in default of your appearance on the day before the mentioned, the case will be heard and determined in your absence.

All the matters will be taken up through video Conferencing or physical and for that purpose:-

(I) All the Advocates/Litigants shall download the "Cisco Webex" application/software;
(II) "Meeting ID" and Password for the date of hearing qua cases to be taken by Hon'ble Presiding Officer/ Registrar shall be displayed in the daily cause list itself at DRT Official Portal i.e. drt.gov.in
(III) In any exigency the Advocate/Litigants can contact the concerned official at Ph. No. 23748478.

Given under my hand and seal of the Tribunal this the 19'm day of Mar.,2024

BY ORDER OF THE TRIBUNAL
SECTION OFFICER
DRT-II, DELHI.

Form No. URC-2

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act

[Pursuant to section 374(b) of the companies Act, 2013 and rule 4(1) of the companies (Authorised to Register) Rules, 2014]

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Registrar at NCT of Delhi & Haryana that **NEXT BUSINESS MEDIA** a Partnership Firm may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a private limited company along with limited by shares.
2. **The principal objects of the company are as follows:**
   i. **Event Management:** Organizing premier trade fairs and exhibitions across sectors.
   ii. **Business Facilitation:** Enabling productive business-to-business interactions and transactions.
   iii. **Trading Opportunities:** Offering a dedicated platform for buyers and sellers.
   iv. **Industry Insights:** Providing forums for knowledge sharing and industry updates.
3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company i.e., **NEXT BUSINESS MEDIA PRIVATE LIMITED** may be inspected at the office at **94, PYARE PATTI, PYARE PATTI, Sultanpur, Uttar Pradesh, Pin Code - 228001.**
4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs, Plot No. 6, 7, 8 Sector-05, IMT Manesar, District Gurgaon, Haryana - 122050, within **twenty-one days** from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.

Dated this 05th day of April, 2024.

For **NEXT BUSINESS MEDIA**

Sd/- Sd/-
MOHD SHUJAT SIDDIQUI **ANAS JAWED**

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

PEGASUS ASSETS RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

55-56,5th Floor Free Press House Nariman Point, Mumbai -400021 Tel: -022-61884700
Email: sys@pegasus-arc.com URL: www.pegasus-arc.com

NOTICE OF SALE THROUGH PRIVATE TREATY

SALE OF IMMOVABLE ASSETS CHARGED TO PEGASUS ASSETS RECONSTRUCTION PVT LTD. UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI ACT).

The undersigned as Authorized Officer of Pegasus Assets Reconstruction Pvt. Ltd. (Pegasus) has taken over possession of the schedule property u/s 14 under the provision of SARFAESI Act in its capacity as Trustee of Pegasus Group Thirty-Nine Trust-1. In view of the aforesaid the below mentioned mortgaged property will be sold through Private Treaty on **"As is where is", "As is what is", and "Whatever there is"** basis with all known and unknown liabilities on 25.04.2024, for recovery of **Rs. 3,17,01,438.20/- (Rupees Three Crores Seventeen Lakhs One Thousand Four Hundred Thirty-Eight and Twenty Paisa Only) as on 30/11/2021** as per notice issued u/s 13(2) [As on 13/10/2023, **Rs. 4,70,80,288.57/- (Rupees Four Crore Seventy Lakhs Eighty Thousand Two Hundred Eighty-Eight and Fifty-Seven Paisa Only) plus interest w.e.f. 14/10/2023** at the contractual rate and costs, charges and expenses thereon till realization, due to **Pegasus Assets Reconstruction Pvt. Ltd.,** from M/s Arata Universal (through Proprietor Sh. Sahil Arora), Sh. Sahil Arora, Sh. Dheeraj Kumar Arora, and Through Legal Heirs of Late Deena Nath Dang. If the borrower/guarantors pay the dues amount of Pegasus Assets Reconstruction Pvt. Ltd. in full with all costs, charges and expenses incurred, to **Pegasus Assets Reconstruction Pvt. Ltd.**

The Reserve Price will be **Rs. 2,28,02,000/- (Rupees Two Crores Twenty-Eight Lakhs and Two Thousand Only)** and the earnest money deposit will be **Rs.22,80,200/- (Rupees Twenty-Two Lakhs Eighty Thousand and Two Hundred Only).**

Public at large is informed that the secured property as mentioned in the Schedule are available for sale through Private Treaty, as per the terms agreeable to Pegasus.

Standard terms & conditions for sale of property through Private Treaty are as under:

1. Sale through Private Treaty will be on **"AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS".**

2. The purchaser has to deposit 10% of the offered amount along with application which will be adjusted against 25% of the deposit to be made as per clause (3) below.

3. The purchaser will be required to deposit 25% of the sale consideration on the next working day of receipt of Pegasus acceptance of offer for purchase of property and the remaining amount within 15 days thereafter. (Pegasus at its discretion may extent the 15 days' time and in any case it will not exceed three months.)

4. Failure to remit the amount as required under clause (3) above, will cause forfeiture of amount already paid including 10% of the amount paid along with application.

5. In case of non-acceptance of offer of purchaser by Pegasus, the amount of 10% paid along with the application will be refunded without any interest.

6. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to Pegasus. The Authorized Officer / Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third-party claims / rights / dues.

7. Bids shall be submitted through Offline/Application to our corporate Office address: **Pegasus Assets Reconstruction Pvt. Ltd. at 55-56, 5th floor, Free Press House, Nariman Point, Mumbai- 400021. Bids should be submitted on or before 24.04.2024 till 4.00.p.m. Email address: nitin@pegasus-arc.com / surender@pegasus-arc.com** In addition to the above, the copy of Pan card, Aadhar card, Address proof, in case of the company, copy of board resolution passed by board of directors of company needs to submitted by the bidder.

8. The sale is subject to confirmation from Pegasus. If the borrowers/co-borrowers/guarantor pay the amount due to the Pegasus in full before date of sale, no sale will be conducted.

9. Intending Bidders shall deposit the aforesaid EMD/s on or before the date and time mentioned herein above by way of a Demand Draft / Pay Order drawn in favor of **"Pegasus Group Thirty Nine Trust 1"** payable at Mumbai or EMD by RTGS/NEFT/Fund Transfer to the credit of A/c no. 409819116154, A/c name: - Pegasus Group Thirty Nine Trust 1, Bank Name: RBL Bank Limited, Branch Office: Ground Floor, Mittal Court, 224 Nariman Point, Mumbai-400021, MICR Code: 400176023, IFSC Code: RATN0000155.

10. The purchaser should conduct due diligence on all aspects related to the property (under sale through private treaty) to his satisfaction. The purchaser shall not be entitled to make any claim against the Authorized Officer / Secured Creditor in this regard at a later date.

11. The purchaser shall conduct due diligence upon the litigation pending against the secured asset, The purchaser shall not be entitled to make any claim against the Authorized Officer / Secured Creditor in this regard at a later date.

12. Pegasus reserves the right to reject any offer of purchase without assigning any reason.

13. If any bidder submits its bid matching the reserve price (i.e. Rs. 2,28,02,000/-) and or above, Pegasus will conduct an inter se bidding between the interested parties and sale will be knocked down in favor of the highest bidder.

14. The purchaser has to bear all stamp duty, registration fee, and other expenses, taxes, duties in respect of purchase of the property.

15. Sale shall be in accordance with the provisions of SARFAESI Act/Rules.

16. The interested parties may contact the Authorized Officer for further details / clarifications and for submitting their application. For the detailed terms and condition of the sale please refer to the link provided in the secured creditors website i.e. "**www.pegasus-arc.com**" and you may contact **Mr. Nitin Kashyap-8447636680 and Mr. Surender Singh-8947960010.**

SCHEDULE

Description of the Property

All that piece and parcel of Entire First Floor portion without roof right of freehold built up residential property bearing no. B-130 area measuring 360 Sq. yds. Situated in the layout plan of The Railway Board Employees Co-operative House Building Society Ltd., colony known as Anand Vihar, Delhi-92.

Reserve Price (Rs.) (Below which the properties will not be sold)	**Rs.2,28,02,000/-** (Rupees Two Crores Twenty-Eight Lakhs and Two Thousand Only)
Earnest Money Deposit	**Rs.22,80,200/-** (Rupees Twenty-Two Lakhs-Eighty Thousand and Two Hundred Only).

This publication is also a 'Fifteen days' notice to the borrowers/guarantors under Rule 8 (6) & 9 (1) of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Authorised Officer
Date: 05/04/2024
Pegasus Assets Reconstruction Private Limited
Place: Delhi
(Trustee for Pegasus Group Thirty-Nine Trust 1)

NORTHERN RAILWAY

Azadi Ka Amrit Mahotsav

CORRIGENDUM

Ref: Tender Notice No. 97/2023-2024 dated 28.02.2024.
(i). Tender No. 07230076A due on 18.04.2024 (S.No. 11)

In reference to above tender, the due date has been extended from 18.04.2024 to 08.05.2024. All other terms and conditions remain unchanged. The Corrigendum has been published on website www.ireps.gov.in.

1003/2024

SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

AVIOM INDIA HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED

REGD. OFFICE: Worldmark 3, Unit 306A, Asset Area No. 7, Hospitality District, Delhi Aerocity, New Delhi-37
CIN : U65993DL2016PTC291377

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that AVIOM India Housing Finance Private Limited, a Housing Finance Company is shifting its Branch Office from 4C-1/5, Avas Vikash, Near DM Colony Road, Bulandshahr, Uttar Pradesh-203001 TO Building No. 3, First Floor, Laxmi Vihar Colony, Court Lane, Near All Saint School, Bulandshahr, U.P-203001

All concerned are requested to take note of the above notice.

For AVIOM India Housing Finance Private Limited

Sd/-
Authorised Signatory

Date : April 04, 2024

CORRIGENDUM-E-AUCTION SALE NOTICE DATED 03.04.2024 IN THE MATTER OF M/S UTM ENGINEERING PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) ("CORPORATE DEBTOR")

This corrigendum is issued in continuation of notice dated 03.04.2024, given to the public in general under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, and Regulations in the matter of E-Auction of M/s UTM Engineering Private Limited (in Liquidation) ("Corporate Debtor") through e-auction platform.

In E-Auction Sale Notice dated 03.04.2024, the following amendments are made:

In Block A Point -1, Lot -1: Plant & Machinery at Dausa, Rajasthan (Situated at Lalsot Tunnel). "Reserve Price shall be Rs. 35,56,188/- (instead of Rs. 36,97,748/-) and EMD shall be Rs. 3,55,600/-." (Instead of 3,70,000/-)

In Block A Point -4, Lot 4: Single Car (Wagon-R) having Registration No- DL 9C AL 4941 at New Delhi: "Reserve Price shall be Rs. 1,41,560/- (Instead of Rs. 85,100/-) and EMD shall be Rs. 14,200/-." (Instead of Rs. 8,500/-)

All other contents of the advertisement of E-Auction Sale Notice dated 03.04.2024 will remain the same.

Sd/-
Kanti Mohan Rustagi
Liquidator
In the matter of UTM Engineering Private Limited
Regn. No. IBBI/IPA-002/IP-N000097/2017 18/10240
AFA No.: AA2/10240/02/280125/203239
AFA Valid upto-: 29.01.2025

Date: 04.04.2024

INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD.

IndiaShelter Home Loans

REGD: OFFICE: - PLOT-15,6TH FLOOR, SEC-44, INSTITUTIONAL AREA, GURUGRAM, HARYANA-122002 **BRANCH OFFICE:** 621/38, W2 JUHI KALA, 1ST FLOOR, NEELAM COMPLEX, KANPUR - 208027, NEAR SACHAN GUEST HOUSE.

POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY

Whereas, The Undersigned Being The Authorised Officer Of The India Shelter Finance And Corporation Ltd, Under The Securitisation And Reconstruction Of Financial Assests And Enforcement (security) Interest Act,2002 And In Exercise Of Power Conferred Under Section 13(12) Read With Rule 3 Of The Security Interest (enforcement) Rules,2002,issued A Demand Notice On The Date Noted Against The Account As Mentioned Hereinafter, Calling Upon The Borrower And Also The Owner Of The Property/surety To Repay The Amount Within 60 Days From The Date Of The Said Notice. Whereas The Owner Of The Property And The Other Having Failed To Repay The Amount, Notice Is Hereby Given To The Under Noted Borrowers And The Public In General That The Undersigned Has Taken Symbolic Possession Of The Property/ies Described Herein Below In Exercise Of The Powers Conferred On Him/her Under Section 13(4) Of The Said Act Read With Rules 8 & 9 Of The Said Rules On The Dates Mentioned Against Each Account. Now, The Borrower In Particular And The Public In General Is Hereby Cautioned Not To Deal With The Property/ies And Any Dealing With The Property/ies Will Be Subject To The Charge Of India Shelter Finance Corporation Ltd For An Amount Mentioned As Below And Interest Thereon, Costs, Etc.

Sl No.	Name Of The Borrower / Guarantor (owner Of The Property) & Loan Account Number	Description Of The Charged / Mortgaged Property(all The Part & Parcel Of The Property Consisting Of)	Dt. Of Demand Notice, Amount Due As On Date Of Demand Notice	Date Of Physical Possession
1	**Mr./ Mrs. Keerti Gupta And Mr./ Mrs. Pradeep Gupta Residing At:** House no-k-3,Yashoda Nagar,Kanpur - 208011 UP **Also At:** Private Plot No 04,Sanigawan Gram, Kanpur Nagar,Kanpur - 208011 UP **LOAN ACCOUNT NO.** HL11CHLONS00005002311	All Piece And Parcel Of Private Plot no 04, Part of Arazi no 52, Sanigawan Gram, Kanpur Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh. Area 84 Sq. Yards Property Bounded as: East : Plot no 03, West : Open Land Moti Lal, North : Open Land Shiv Shanker Sahu, South : 20 ft. WideRoad.	Demand Notice Dated 19.05.2023 Rs. 4,68,139/- (Rupees Four Lakh Sixty Eight Thousand One Hundred Thirty Nine Only) due as on 10.05.2023 Together With Interest From 11.05.2023 And Other Charges And Cost Till The Date Of The Payment.	30.03.2024

PLACE: KANPUR,
DATE: DATE: 5/4/2024

For Any Query Please Contact
Mr. Sudhirtomar (+91 98184 60101)

(AUTHORIZED OFFICER)
INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD

HCBL BANK

Yeh Bank Zara Kuchh Khaas hai...™

HCBL CO-OP BANK LIMITED

Registered Office at : HO-Sahara Hospital, 1 Viraj Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Telephone 0522-2987816,2987817

PUBLIC NOTICE FOR AUCTION CUM SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

Appendix – IV-A [See Proviso to rule 8 (6)]

Open Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules,2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive possession of which has been taken by the Authorised Officer of HCBL Co-operative Bank Ltd., the Secured Creditor, will be sold on " As is Where is", As is What is" and Whatever there is" on 23rd Apr 2024, for recovery of Rs. 6,96,63,366.84/- (Rupees Six Crore Ninty Six Lakh Sixty Three Thousand Three Hundred Sixty Six and Eighty Four Paisa Only) As on 01.08.2023 plus interest & charges thereafter due to the HCBL Co-operative Bank Ltd. secured creditor from 1. M/s Shri Colonizers and Developers Pvt. Ltd S-14, 2nd floor, Jai Hind Complex, B.N. Road, Lalbagh Lucknow. Through its Directors (Borrower). 2. Shri Rishi Arora s/o Shri Love Kumar Arora, & BN. Road Kaiserbegh, Lucknow. (Director/Guarantor). 3. Shri Sharad Kesarwani S/o Dwarika Nath Kesarwani, H.No.1087, Sadar Bazaar Lucknow (Director/Guarantor). 4. Shri Manoj Dwivedi S/o Shri Chakradhar Nalin, H.No, 254, Chandra Lok, Aliganj Lucknow (Director/Guarantor). 5. Shri Umesh Azad S/o Late Shri Shyam Lal Azad H.No. 3 Batashey wali gali Aminabad, Lucknow. (Director/Guarantor).

The reserve price will be Rs. 6,96,63,366.84/- (Rupees Six Crore Ninty Six Lakh Sixty Three Thousand Three Hundred Sixty Six and Eighty Four Paisa Only) and the earnest money deposit will be 10% of Bid Amount i.e., Rs. 69,66,336.68/- (Rupees Sixty Nine Lac Sixty Six Thousand Three Hundred Thirty Six and Sixty Eight Paisa Only) the latter amount to be deposited with the Bank on or before 20th Apr 2024 by 5 PM. particulars of which are given below : -

Details/ Description of Mortgaged Assets	Reserve Price	EMD	Date, Time for Open Auction Sale/ Place	Prior Encumbrance
Primary Security Property : Equitable mortgage of group housing plot measuring 528.591 sqr meter situated at Block Number H of Celebrity Green at s

ADITYA BIRLA CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात–362266,
निगमित कार्यालय : आर–टेक पार्क, 10वां तल, निरलॉन कॉम्प्लेक्स, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, गोरेगांव पूर्व, मुंबई–400063

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
परिशिष्ट IV (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 का नियम 8(1) देखें)

जबकि,
अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड, जिसका शाखा पता है : द्वितीय तल, शकुन एंपो. रिया, सी–23, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगार्तगत, एक मांग सूचना दिनांकित 17–08–2023 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ताओं नामतः मैसर्स दीपक एंटरप्राइजेज, स्वामी के माध्यम से, श्री दीपक बोहरा, श्रीमती नीतू कुमारी बोहरा, श्रीमती रुक्मिणी देवी बोहरा को सूचना में अंकित राशि **रु. 4,42,93,595/– (रुपये चार करोड़ बयालिस लाख तिरानबे हजार पांच सौ पिचानबे मात्र)** का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।
चूंकि ऋणकर्तागण उपर्युक्त अंकितानुसार बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **4 अप्रैल 2024 को, भौतिक अधिग्रहण कर लिया है।**
ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, **रु. 4,42,93,595/– (रुपये चार करोड़ बयालिस लाख तिरानबे हजार पांच सौ पिचानबे मात्र)** की एक राशि तथा राशि पर नियत ब्याज हेतु आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।
ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश : निर्मित वाणिज्यिक सह आवासीय संपत्ति जो भूखंड सं. 313, एल–1 रोड, भूपालपुरा, उदयपुर, राजस्थान–313001 में स्थित है, जिसका क्षेत्राधिमापन 4800 वर्ग फुट है, और इसके चार किनारे निम्नानुसार हैं :– पूर्व– भूखंड सं. 312, पश्चिम– भूखंड सं. 314, उत्तर– भूखंड सं. 292, 293, 294, दक्षिण– सड़क 40'' फुट।

स्थान : उदयपुर **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 04–04–2024 **(आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड)**

केनरा बैंक Canara Bank

शाखा: पिलखुआ एसएमई–II
ई–मेल: cb18559@canarabank.com

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति के लिए) नियम 13(4) के तहत

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अंतर्गत केनरा बैंक, पिलखुआ एसएमई–II शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30.01.2024 को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें ऋणी: मैसर्स आलोक स्वर इंडस्ट्रीज, प्रोप. नलिन कुमार शर्मा, 764 अचपाल गढ़ी, साइकिल फैक्ट्री के पास, पिलखुआ, हापुड़ 245304, मो. नं. 9045697706, 9837041627, ईमेल आईडी: alok_metal@yahoo.com, ऋणी: श्री नलिन कुमार शर्मा पुत्र प्रमोद कुमार शर्मा, मकान नं. 33, मोहल्ला श्रीकल्पुरा शिवाजी नगर, पिलखुवा, हापुड़ 245304, जमानतकर्ता: श्रीमती निरुपमा शर्मा पत्नी नलिन कुमार शर्मा, मकान नं. 33, मौहल्ला श्रीकलपुरा, शिवाजी नगर पिलखुवा हापुड़ 245304, मो. नंबर 9927020075, 9045697706 को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर धनराशि रू.– 1,11,01,173.24 (रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख एक हजार एक सौ तिहत्तर और चौबिस पैसा केवल) 31.12.2023 से ब्याज व अन्य खर्चा आदि अदा करने को कहा गया था।
ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी/गारण्टर/सम्पत्ति के मालिक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 03 अप्रैल 2024 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता/गारण्टर/सम्पत्ति के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी सौदा रुपये की राशि के लिए केनरा बैंक, पिलखुआ एसएमई–II शाखा के प्रभार धनराशि रू.– 1,13,73,141.53 (रुपये एक करोड़ तेरह लाख तिहत्तर हजार एक सौ इकतालिस और तिरेपन पैसा केवल) दिनांक 31.03.2024 से ब्याज व अन्य खर्चा आदि को अदा करने को कहा गया था।
सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्याज आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

(ए) एक दोमंजिला आवासीय मकान भूमिपत्र नं. 32 (पुराना) 40 (नया), जिसका क्षेत्रफल 145 वर्ग मीटर है। मोहल्ला श्रीकलपुरा, पिलखुवा परगना डासना, तहसील धौलाना, जिला हापुड़, मालिक श्रीमती निरुपमा शर्मा पत्नी नलिन कुमार शर्मा, चौहद्दी: पूर्वः मकान राजेंद्र टैंक, पश्चिमः रास्ता 12'6" चौड़ा, उत्तरः जय भगवान का घर, दक्षिणः सतीश चंद शर्मा का घर।
(बी) इण्डस्ट्रियल ईमारत क्षेत्रफल 300 वर्ग याई या 250.92 वर्ग मीटर, खसरा नं. 764 का भाग, डाम पिलखुवा देहात, अचपाल गढ़ी पिलखुवा तहसील धौलाना जिला हापुड़, मालिक श्री नलिन कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रमोद कुमार शर्मा, चौहद्दी: पूर्वः अन्य का प्लॉट, भुजा 45 फीट, पश्चिमः विक्रेता की भूमि, भुजा 45 फीट, उत्तरः अन्य का प्लॉट, भुजा 60 फीट, दक्षिणः 15 फीट चौड़ी सड़क, भुजा 60 फीट।

दिनांक: 03.04.2024 स्थान: पिलखुआ एसएमई–II **प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक**

राजस्थान सरकार
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद्, मुख्यालय–द्वितीय, जयपुर
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005
ई–मेल- indrajfc.hq2@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ. 9 (54 X)आयु.उ./MSEFC/H2-4/2022 दि.: 27.03.24

M/s. Delhi Transco Limited,
Sakti Sadan, Kotla Road,
New Delhi 110002

अन्तिम नोटिस
केस नम्बर-RJ1715/LPG/00603

M/s. Elektrolites Power Private Limited, S-758(A & B), Road No. 9 f, VKI Area, Jaipur-302013 द्वारा आपको आपूर्ति किये गये Isolator with earth switch की विलम्बित भुगतान राशि रूपये 35,10,490/- तथा देय ब्याज राशि 10,93,554/- का भुगतान आप द्वारा आपूर्तिकर्ता इकाई को नहीं किये जाने के कारण आपूर्तिकर्ता द्वारा एमएसएमईडी एक्ट, 2006 की धारा 18 के अन्तर्गत सुविधा परिषद को रेफर्रन्स प्रस्तुत करने पर परिषद द्वारा बैठक दिनांक 27.06.2022 हेतु नोटिस दिनांक 21.06.2022 एवं बैठक दिनांक 25.01.2023, 19.06.2023 एवं 23.02.2024 हेतु मीटिंग नोटिस दिनांक 16.01.2023, 13.06.2023 एवं 19.02.2024 रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जाकर, परिषद के समक्ष प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु आप बैठकों में उपस्थित नहीं हुए और ना ही सुविधा परिषद के समक्ष आपकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण में आपसे आज दिनांक तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। आपको प्रेषित मीटिंग नोटिस भी डाक विभाग से अनडिलिवर्ड होकर विभाग को प्राप्त हुए हैं। आपकी निरन्तर अनुपस्थिति पर परिषद द्वारा गहन नाराजगी व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से प्रकरण में एमएसएमईडी एक्ट, 2006 की धारा 18(2) के तहत कन्सिलिएशन को समाप्त करते हुए, अधिनियम की धारा 18(3) के तहत आरबीट्रेशन को प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया साथ ही आपूर्तिकर्ता को क्रेता के स्थानीय क्षेत्र में स्वयं के व्यय पर राष्ट्रीय समाचार पत्र में लोक सूचना प्रकाशित करने हेतु निर्देशित किया गया। अतः जरिये अंतिम नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि आपूर्तिकर्ता इकाई को विलम्बित बकाया भुगतान न किये जाने के संबंध में अपना प्रत्युत्तर अविलम्ब प्रस्तुत करें अन्यथा एमएसएमईडी एक्ट, 2006 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विलम्बित भुगतान पर तीन गुना चक्रवृति ब्याज लगा कर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार अवार्ड पारित कर दिया जायेगा।

(शिल्पा गौखरू)
संयुक्त आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य व प्रभारी अधिकारी

ई–नीलामी बिक्री सूचना
तिथि 3.4.2024 का शुद्धिपत्र
मै. यूटीएम इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड परिसमापन में (''कॉर्पोरेट डेब्टर'') के मामले में

यह शुद्धिपत्र ई–नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से मै. यूटीएम इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड परिसमापन में (''कॉर्पोरेट डेब्टर'') के मामले में दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के अंतगत आम जनता को दी गई है ई–नीलामी की सूचना तिथि 03.04.204 के अधिक्रम में जारी की जा रही है। ई–नीलामी बिक्री सूचना तिथि 3.4.2024 में निम्न संशोधन किए गए हैं:
ब्लॉक ए प्वाइन्ट–1 में, लॉट–1 : दौसा राजस्थान में प्लान्ट एवं मशीनरी (लालसोट टनेल में स्थित) आरक्षित मूल्य (रु. 36,97,748 की जगह) रु. 35,56,188/– तथा ईएमडी (3,70,000/– की जगह) रु. 3,55,600/– होगी।
ब्लॉक ए प्वाइंट–4, लॉट 4 में : नई दिल्ली में सिंगल कार (वैगन–आर) पंजीकरण सं.–डीएल 9 सीएएल 4941 में आरक्षित मूल्य (रु. 85,100/–) की जगह (रु. 141560/– तथा ईएमडी (रु. 8500/–) की जगह रु. 14200/– होगी।
ई–नीलामी सूचना तिथि 3.4.2024 के विज्ञापन के अन्य सभी विवरण पूर्ववत रहेंगे।

हस्ता/–
तिथि : 04.04.2024 कान्ति मोहन रूस्तगी
परिसमापक
यूटीएम इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के मामले में
पंजी सं. : IBBI/IPA-002/IP-H00097/2017-18/10240
एएफए नं. : AA2/10240/02/290125/203239
एएफए की वैद्यता : 29.01.2015 तक

टाटा कैपिटल लिमिटेड
रजि. कार्यालय: टावर ए, 11वीं मंजिल, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013, शाखा का पता: 09वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई–1, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055

शुद्धिपत्र

टाटा कैपिटल लिमिटेड द्वारा ऋण अनुबंध संख्या **TCFLA0386000011069066** और जीईसीएल ऋण खाता संख्या **TCFLA0359000010924087**, उधारकर्ता का नाम–श्री धनपाल सिंह के अंतर्गत दिनांक 03–04–2024 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया नीलामी बिक्री नोटिस के सन्दर्भ में , कृपया इस प्रकार पढ़ें:
1. ऋण अनुबंध संख्या **TCFLA0386000011069066** और जीईसीएल ऋण खाता संख्या **TCFLA0359000010924087**,
2. टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज और उनके संबंध में सभी बकाया आवेदक कंपनी को हस्तांतरित कर दिए गए और इस प्रकार टीसीएल उसके संदर्भ में (उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं) से दावा करने का हकदार है।
3. संपत्ति निरीक्षण की तारीख 15 मार्च, 2024 के बजाय 12 अप्रैल, 2024 है ।
नीलामी बिक्री नोटिस दिनांक 03.04.2024 की अन्य सामग्री अपरिवर्तित रहेंगे।

स्थान: दिल्ली **हस्ता /– प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक: 05–04–2024 **टाटा कैपिटल लिमिटेड**

ऋण वसूली अधिकरण–I, दिल्ली
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

टीए 2288 / 2022
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .....आवेदक
बनाम
मैसर्स एसकेएम मैन्युफैक्चरिंग प्रा. लि. एवं अन्य .....प्रतिवादी

सेवा में,
1. **मैसर्स एसकेएम मैन्युफैक्चरिंग प्रा. लि. एवं अन्य**
पंजीकृत कार्यालय: 4 / 18 ईस्ट पटेल नगर, सेंट्रल दिल्ली.
इस पर भी: सी 25, साउथ एक्सटेंशन पार्ट–1, दिल्ली–110049.
इस पर भी: प्लॉट नं.93, ब्लॉक ए, सेक्टर–92, नोएडा, जिला–जीबी नगर, उ0प्र0
2. **पंकज शर्मा, निदेशक,** म.नं. 1384, सेक्टर–10ए, गुरुग्राम, हरियाणा.
इस पर भी: एफ–295, न्यू राजेन्दर नगर, नई दिल्ली–110060.
इस पर भी: मकान नं.984, सेक्टर–45S, गुड़गाँव, हरियाणा–121001.
इस पर भी: प्लॉट नं.93, ब्लॉक–ए, सेक्टर–92, नोएडा, जिला–गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0
3. **शुभम दूबे, निदेशक,** 4 / 18, ईस्ट पटेल नगर, दिल्ली–110008.
इस पर भी: डमाका, अचवर, ज्ञानपुर, संत रविदास नगर, उ0प्र0–221301.
इस पर भी: मकान नं. 1384, सेक्टर–10ए, गुरुग्राम, हरियाणा.
इस पर भी: प्लॉट नं.93, ब्लॉक ए, सेक्टर–92, नोएडा जिला–गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0.
4. **वीणा पत्नी मुकेश कुमार**
प्लॉट नं.93, ब्लॉक ए, सेक्टर–92, नोएडा, जिला–जी बी नगर, उ0प्र0

चूंकि उपरोक्त नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध **रु.6,27,92,494/– (छः करोड़ सतांइस लाख बानवे हजार चार सौ चौरानवे रूपये मात्र)** की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया है और अधिकरण के संज्ञान में आया है कि सामान्य तरीके से आपको जानकारी देना संभव नहीं है इसलिए इस विज्ञापन के माध्यम से सूचना देते हुए आपको **18.04.2024 को प्रातः 10:30 बजे एल.डी. रजिस्ट्रार** के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। **(विस्तृत विवरणों के लिए डीआरटी की वेबसाइट www.etribunal.gov.in फोन नं. 011-23748473** पर सम्पर्क करें)।
यह ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा।
महामारी की स्थिति को देखते हुए सभी मामलों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया जा रहा है और इसके प्रयोजन हेतु:–
(1) सभी एडवोकेट्स/लिटिगेंट्स को **"रिस्को वेबैक्स"** एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा।
(2) **"मीटिंग आईडी" एवं "पासवर्ड"** अगली सुनवाई की तिथि के लिए **रजिस्ट्रार/वसूली अधिकारी–1** और **वसूली अधिकारी–2** द्वारा क्या मामलों में डीआरटी आधिकारिक पोर्टल **"drt.gov.in"** पर पब्लिक नोटिस बैड के अंतर्गत सुनवाई की एक तिथि पूर्व उपलब्ध होगा।
(3) किसी भी आपातकालीन स्थिति में एडवोकेट्स/लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से फोन नं. **011-23748473** पर सम्पर्क कर सकते हैं।
आज 19 जनवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के साथ जारी किया गया।
प्रतिवादी अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित फोन नम्बर पर सम्पर्क कर सकता है।
श्री अमित के. दर, एलडी. रजिस्ट्रार, डीआरटी–1, नई दिल्ली, फोन नं. 011-23748473

न्यायालय की मुहर
इस अधिकरण के आदेशानुसार
सहायक रजिस्ट्रार

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009
शाखा कार्यालय: एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ई–145, रमेश मार्ग, सामने सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान–302001

सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ई–नीलामी द्वितीय बिक्री सूचना

कम्पनी के बकाये की वसूली के लिये ''जैसा है जहाँ है आधार'' तथा ''जो भी वहाँ है आधार'' पर उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ निम्न ऋण खाताओं में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुसार एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्न सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

1. ऋणधारक/को एवं गारन्टर/रों का नाम एवं पता 2. कुल बकाया + ब्याज	सम्पत्ति का विवरण	1. ई–नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति की ईएमडी
चंद्र स्वीट भंडार – दुकान संख्या 13 यूआईटी बाजार सूचना केंद्र के पास भीलवाड़ा भीलवाड़ा एचओ –311001 राजस्थान – और इसके अलावा – प्लॉट नंबर 103 और कवाखेरा भीलवाड़ा भीलवाड़ा – लता रामचंदानी– 103/1 – जग जीवन पार्क के पास कांवा खेरा भीलवाड़ा भीलवाड़ा एचओ–311001 राजस्थान – ललित रामचंदानी – 103/1 जग जीवन पार्क के पास कांवा खेरा भीलवाड़ा भीलवाड़ा भीलवाड़ा एचओ–311001 राजस्थान – राधा देवी रामचंदानी–103/1 जग जीवन पार्क के पास कांवा खेरा भीलवाड़ा भीलवाड़ा भीलवाड़ा एचओ–311001 राजस्थान **ऋण खाता संख्या 13993952 और 3847849** **04.04.2022 तक रु. 2488201** (रुपये चौबीस लाख अट्ठासी हजार दो सौ एक मात्र) और वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ	प्लॉट नं. 103, कावा खेड़ा योजना, जगजीवन पार्क के पास, भीलवाड़ा, राजस्थान का समस्त भाग। संपत्ति का क्षेत्रफल 572 वर्ग फुट, उत्तर : मार्ग (उसी संपत्ति का शेष भाग) दक्षिण : प्लॉट नं. 104, पूर्व : उसी संपत्ति का शेष भाग, पश्चिम : रोड 30' चौड़ी,	1) ई–नीलामी की तिथि : 24.04.2024 को 10.30 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. प्रत्येक 5 मिनट के आगे के विस्तार के साथ 2) केवाईसी सहित ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 23.04.2024 को 5 बजे अप. तक 3) निरीक्षण की तिथि : 19.04.2024 को 12.00 बजे पूर्वा. से 01.00 बजे अप. के बीच	आरक्षित मूल्य (रु. में): रु. 2437800/– (रुपये चौबीस लाख सैंतीस हजार आठ सौ मात्र) ईएमडी राशि (रु. में): रु. 243780/– (रुपये दो लाख तैंतालीस हजार सात सौ अस्सी मात्र)
मुरलीधर फैशन प्राइवेट लिमिटेड, बुद्ध प्लाजा 2सरा तल सिंडिकेट बैंक के ऊपर 3सरी मंजिल सर्किट हाउस भीलवाड़ा भीलवाड़ा एचओ–311001 राजस्थान – और साथ ही – 3सरा फ्लोर प्लॉट बसन्त विहार भीलवाड़ा भीलवाड़ा एचओ–311001 – विनायक रुंगडा – 41 गोकुलम वैभव नगर भोपालपुरा भीलवाड़ा एचओ राजस्थान– 311001 – राधा रूंगता – 41 गोकुलम वैभव नगर भोपालपुरा भीलवाड़ा भीलवाड़ा भीलवाड़ा एचओ राजस्थान– 311001 –दीपक रुंगटा – 41 गोकुलम वैभव नगर भोपालपुरा भीलवाड़ा एचओ –311001 राजस्थान **ऋण खाता संख्या 8594188,14358681** **04.04.2022 तक रु. 20155292** (रुपये दो करोड़ एक लाख पचपन हजार दो सौ बानवे मात्र) और वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ	प्लॉट नंबर 65, बसंत विहार योजना, भीलवाड़ा – (राज) 311001, माप–5200 वर्ग फीट, पूर्व–फुटपाथ 25' चौड़ा जी/एल पर, पश्चिम–फुटपाथ 25' चौड़ा, जी/एल पर, उत्तर–फुटपाथ 20' चौड़ा, दक्षिण–फुटपाथ 20' चौड़ा और जी/एल पर पार्किंग,	1) ई–नीलामी की तिथि : 24.04.2024 को 10.30 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. प्रत्येक 5 मिनट के आगे के विस्तार के साथ 2) केवाईसी सहित ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 23.04.2024 को 5 बजे अप. तक 3) निरीक्षण की तिथि : 19.04.2024 को 12.00 बजे पूर्वा. से 01.00 बजे अप. के बीच	आरक्षित मूल्य (रु. में): रु. 14904000/– (रुपए एक करोड़ उनचास लाख चार हजार मात्र) ईएमडी राशि (रु. में): रु. 1490400/– (रुपए चौदह लाख नब्बे हजार चार सौ मात्र)
शुभलक्ष्मी बेकरी एण्ड फास्ट फूड, रावत प्लाजा चोमू जयपुर चोमू –303702 राजस्थान, साथ ही: दुकान नंबर बी –7 ग्राउंड फ्लोर चोमू जिला जयपुर चोमू –303702, यहां भी है: शॉप नंबर 8 फर्स्ट फ्लोर चोमू जिला जयपुर चोमू – 303702, मधु विजय एवं विकास बाबू विजय सभी निवासी: जैन मंदिर के पास नया बाजार चोमू जयपुर त्रिपोलिया चोमू चोमू–303702 राजस्थान: **ऋण खाता संख्या: 8379893.** **दावा की गई राशि: रु. 3,543,738.81** (रुपये पैंतीस लाख तैंतालीस हजार सात सौ अड़तीस और इक्यासी पैसे मात्र) 15–जून–2021 तक और आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज	संपत्ति संख्या 1: संपत्ति संख्या 1: अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग – दुकान संख्या 8, पहली मंजिल, चोमू जिला, जयपुर राजस्थान 303702 संपत्ति की सीमाएं: उत्तर: दुकान संख्या 7, पश्चिमः मोहल्ला रास्ता मिनो का, पूर्वः कॉमन मार्ग / रास्ता और दक्षिणः अन्य संपत्ति, संपत्ति संख्या 2: संपत्ति अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग – दुकान संख्या बी –7, ग्राउंड फ्लोर, चोमू जिला जयपुर राजस्थान 303702 12.11 वर्गमीटर संपत्ति की सीमाः उत्तरः दुकान संख्या 6 –बी, पश्चिम : रास्ता मोहल्ला मेनो का पूर्व : सामान्य मार्ग / रास्ता – 8.1 फीट चौड़ा और दक्षिण : अन्य संपत्ति।	1) ई–नीलामी की तिथि : 24.04.2024 को 10.30 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. प्रत्येक 5 मिनट के आगे के विस्तार के साथ 2) केवाईसी सहित ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 23.04.2024 को 5 बजे अप. तक 3) निरीक्षण की तिथि : 19.04.2024 को 12.00 बजे पूर्वा. से 01.00 बजे अप. के बीच	आरक्षित मूल्य (रु. में): रु 1105893/– (रुपये ग्यारह लाख पांच हजार आठ सौ तिरानवे मात्र) ईएमडी राशि (रु. में): रु 110589/– (रुपये एक लाख दस हजार पांच सौ नवासी मात्र) आरक्षित मूल्य (रु. में): रु. 2233656/– (रुपए बाईस लाख तैंतीस हजार छह सौ छप्पन मात्र) ईएमडी राशि (रु. में): रु 223365/– (रुपये दो लाख तेईस हजार तीन सौ पैंसठ मात्र)
डीवाई इंडस्ट्रीज – प्लॉट नं एफ–153 एलजीसी खारा बिचवाल बीकानेर बीकानेर बीकानेर – 334002 राजस्थान – और इसके अलावा – कंजनी मालियो का मोहल्ला बीकानेर बीकानेर –334002–योगेंद्र जोशी –वार्ड नंबर 32 भैरूरत्न कन्या विद्यालय के पीछे बीकानेर बीकानेर बीकानेर–334004 राजस्थान–विजया जोशी–वार्ड नं. 32 भैरूरतन कन्या विद्यालय के पीछे बीकानेर बीकानेर बीकानेर–334004 राजस्थान–धीरेन जोशी–योगेंद्र जोशी वार्ड नं. : 14055822/8231109, दावा की गई राशि: रु. 4006114.16 (रुपये चालीस लाख छह हजार एक सौ चौदह और सोलह पैसे मात्र) 11.01.2022 तक और आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज।	पट्टा संख्या 95, दिनांक– 17.12.1935, कजनियो का मोहल्ला, कोचरन, बीकानेर, राजस्थान – 334005 का समस्त भाग, माप– 646.25 वर्ग फीट – पूर्व–गली, पश्चिम–गली, उत्तर–गली, दक्षिण–गली	1) ई–नीलामी की तिथि : 24.04.2024 को 10.30 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. प्रत्येक 5 मिनट के आगे के विस्तार के साथ 2) केवाईसी सहित ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 23.04.2024 को 5 बजे अप. तक 3) निरीक्षण की तिथि : 19.04.2024 को 12.00 बजे पूर्वा. से 01.00 बजे अप. के बीच	आरक्षित मूल्य (रु. में): रु. 3059748/– (रुपये तीस लाख उनसठ हजार सात सौ अड़तालीस मात्र) ईएमडी राशि (रु. में): रु. 305975/– (रुपये तीन लाख पांच हजार नौ सौ पचहत्तर मात्र)
दम्पिका ट्रेडिंग कम्पनी – दुकान नं. 103 104 नागौर गार्डन भीलवाड़ा भीलवाड़ा, एचओ–311001 राजस्थान – और इसके अलावा – प्लॉट नं. 4, गांधी नगर योजना भीलवाड़ा पू. रोड 30 डब्ल्यू प्लॉट नं. 8, भीलवाड़ा एचओ–311001 – सुनील कुमार भूतरा – 4 राज टेंट हाउस के सामने भीलवाड़ा एचओ–311001 राजस्थान – मंजुला देवी भूतड़ा – 4 राज टेंट हाउस के सामने भीलवाड़ा एचओ–311001 राजस्थान: ऋण खाता संख्या: 14005475/7152362, 16942466 (रुपये एक करोड़ उनहत्तर लाख बयालीस हजार चार सौ छियासठ मात्र) 15.11.2022 तक और आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ वास्तविक वसूली तक भावी संविदात्मक ब्याज।	संपत्ति प्लॉट नं. 4 गांधी नगर योजना भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित सम्पत्ति का समस्त भाग, माप 2259.37 वर्ग फीट, बिक्री विलेख के अनुसार मंजुला देवी भूत्रा के स्वामित्व में, क्र.सं. 2009011091 दिनांक 1–12–2009 को उप पंजीयक भीलवाड़ा में पंजीकृत एवं दाखिल खारिज संख्या. 330 दिनांक 24–09–2012, संपत्ति की सीमाएँ :– उत्तर– मालिक की संपत्ति, दक्षिण–प्लॉट नं. –5, पूर्व–सड़क 30 फीट, पश्चिम– प्लॉट नं. 8	1) ई–नीलामी की तिथि : 24.04.2024 को 10.30 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. प्रत्येक 5 मिनट के आगे के विस्तार के साथ 2) केवाईसी सहित ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 23.04.2024 को 5 बजे अप. तक 3) निरीक्षण की तिथि : 19.04.2024 को 12.00 बजे पूर्वा. से 01.00 बजे अप. के बीच	आरक्षित मूल्य (रु. में): रु. 11421000/– (रुपये एक करोड़ चौदह लाख इक्कीस हजार मात्र) ईएमडी राशि (रु. में): रु. 1142100/– (रुपये ग्यारह लाख बयालीस हजार एक सौ मात्र)
1.अनिल मेडिकल स्टोर – वाया शंकर लाल माली पोस्ट रास रास – 306107 – अनिल मेडिकल स्टोर – आवासीय संपत्ति नगरपालिका संख्या 2/247 आबादी बिछड़ली गुजरां – मोहल्ला, ब्यावर तहसील : ब्यावर – ब्यावर – 305901 – सुशीला एल – बिछड़ली गुजरां मोहल्ला ब्यावर अजमेर ब्यावर – 3059014 – तेज मल कपूर – मकान नं. गुजरान मोहल्ला कुंदन भवन – गली ब्यावर अजमेर ब्यावर – 305901 **खाता संख्या 8061676** **रुपये 2896447.67** (शब्दों में अट्ठाईस लाख छियानवे हजार चार सौ सैंतालीस और सड़सठ पैसे मात्र) 23–10–2021 तक और आकस्मिक व्यय लागत और शुल्क आदि के साथ वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज।	अग्रलिखित संपत्ति का समस्त भाग – आवासीय संपत्ति नगरपालिका संख्या 2/247 आबादी बिच्छाटली गुजरां मोहल्ला ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.), ब्यावर, राजस्थान–305901, क्षेत्रफल 1226.39 वर्ग फुट, उत्तर:– गली और श्री घेवर चंद लाहोटी का मकान, दक्षिण:– श्री जेठमल खत्री और. श्री शंकरलाल तेली का मकान, पूर्व:– श्री शंकर जी तेली का मकान, पश्चिम:– श्री कपूर चंद लाहोटी का मकान	1) ई–नीलामी की तिथि : 24.04.2024 को 10.30 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. प्रत्येक 5 मिनट के आगे के विस्तार के साथ 2) केवाईसी सहित ईएमडी जमा करने की अन्ति

मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन का जायजा लिया

सवेरा न्यूज/सूरी

जम्मू 04 अप्रैलः मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने 2023 में संसद द्वारा अधिनियमति जम्मू-कश्मीर में तीन नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु गृह, पुलिस और कानून विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक उच्च स्तरीय संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में प्रमुख सचिव गृह के अलावा महानिदेशक जेल एवं अपराध, निदेशक अभियोजन जम्मू एवं कश्मीर, एडीजी एल एंड ओ, सचिव कानून, निदेशक एफएसएल और विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे, जबकि श्रीनगर स्थित अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

मुख्य सचिव ने अपने कर्मियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के संबंध में अब तक किए गए उपायों पर ध्यान दिया। उन्होंने प्रत्येक विंग के पुलिस अधिकारियों के उन बैचों के बारे में भी पूछताछ की, जिन्हें नए कानूनों के बारे में आवश्यक प्रशिक्षण और शिक्षा मिली है ताकि वे सभी परिवर्तनों और प्रासंगिक धाराओं से अच्छी तरह वाकिफ हों।

उन्होंने पूरे जम्मू-कश्मीर में इन कानूनों के कार्यान्वयन के लिए एकल बिंदु संपर्क के रूप में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नियुक्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह नामति नोडल अधिकारी सभी मुद्दों को हल करने और पुलिस विभाग के विभिन्न विंगों के बीच इन कानूनों में किए गए सभी बदलावों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनाने में सुविधा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए।

डुल्लू ने इन कानूनों में किए गए बदलावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए महिलाओं और छात्र आबादी सहित समाज के विभिन्न वर्गों के बीच प्रासंगिक सामग्री का प्रसार करने के लिए भी कहा। उन्होंने वर्तमान समय में इन कानूनों की

बैठक करते हुए मुख्य सचिव अटल डुल्लू।

प्रासंगिकता, समय-सीमा और महत्व के बारे में स्पष्ट जानकारी देने वाले स्थानीय भाषाओं में पर्चे और अन्य सूचनात्मक सामग्री वितरित करने के लिए कहा।

उन्होंने यहां पुलिस मैनुअल में होने वाले बदलावों के बारे में भी पूछा। उन्होंने उनसे कहा कि इस उद्देश्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए एसओ जारी करने की आवश्यकता पर गौर करें। उन्होंने संचालन समिति के प्रत्येक सदस्य से अब तक किए गए प्रयासों और उपलब्ध समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आगे की रणनीति के बारे में सुझाव लिए। प्रधान सचिव गृह चंद्राकर भारती ने अपने प्रस्तुतीकरण में स्थानीय प्रशासन द्वारा इस दिशा में अब तक की गयी विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने खुलासा किया कि इन कानूनों के कार्यान्वयन में हमारी रणनीति के तीन स्तंभ क्षमता निर्माण और कर्मचारियों के प्रशिक्षण, अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता, यदि कोई हो, और यहां किए जाने वाले हार्डवेयर और तकनीकी हस्तक्षेपों के उन्नयन की आवश्यकता पर टिके हुए हैं।

इसके अतिरिक्त बताया गया कि अब तक 75 अभियोजकों के अलावा लगभग 4997 पुलिस कर्मियों को पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में बैचों में प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिला मोबाइल फोरेंसिक इकाइयों की स्थापना की योजना का भी खुलासा किया।

इस बैठक के दौरान हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी के उन्नयन की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया गया। कहा गया कि इस संबंध में कार्य योजना एमएचए को सौंपी जाएगी। यह भी पता चला कि समितियों और अध्ययन समूहों का गठन इन कानूनों की जानकारी रखने और इन कानूनों को यहां यूटी में लागू करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए किया गया था। उल्लेखनीय है कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हाल ही में जुलाई, 2024 से लागू करने के लिए एमएचए द्वारा अधिसूचित किया गया था। ये क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेने जा रहे हैं।

सार संक्षेप

रोहडू के मघारा में लोगों को बताया वोट का महत्व

सवेरा न्यूज/ राही (रोहडू) : रोहडू विधानसभा क्षेत्र की उप तहसील जांगला के अंतर्गत मंघारा गांव में स्थानीय स्वयं सहायता समूह ने स्वीप गतिविधियों के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित। इस कार्यक्रम में स्वयं साथ सहायता समूह की महिलाओं ने गांव के लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पूरे गांव का चक्कर लगाते हुए सभी को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी की सुनिश्चित सहभागिता के लिए अलख जगाया। इसके लिए गांव के लोगों से आग्रह किया एस्वयं सहायता समूह के लोगों के साथ-साथ स्वीप के सदस्य भी उपस्थित रहे।

चुनाव में युवाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण : अभिषेक वर्मा

अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अभिषेक वर्मा लोगों को मतदाता शपथ दिलवाते हुए।

सवेरा न्यूज/ कुलदीप (शिमला) : देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत वीरवार को अटल बिहारी वाजपेयी अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान गुम्मा में स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया गया। संस्थान के सभागार में हुए एक भव्य समारोह में अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अभिषेक वर्मा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। अतिथि विशेष निदेशक कार्मिक विभाग शिवम प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे। अभिषेक वर्मा ने अपने संबोधन में मतदान की महत्ता पर बल देते हुए बताया कि लोकतंत्र में यदि हम चुनाव प्रक्रिया मे भाग नहीं लेते, तो देश में कल्याणकारी कार्य एवं कानून व्यवस्था पर विपरीत असर होता है। साथ ही लोकतंत्र मे हमारी आवाज़ भी बुलंद नहीं रहती। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम सभी चुनाव मे बढ़-चढ़कर भाग लें। पहली बार मतदाता बने युवाओं से आह्वान करते हुए उन्होंने बताया कि युवा देश का भविष्य हैं और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। मुख्यतिथि ने उपस्थित लोगों को मतदाता शपथ भी दिलाई।

करसोग में आपदा के संबंध में मॉकड्रिल

सवेरा ब्यूरो (शिमला/करसोग) : कांगड़ा में 4 अप्रैल 1905 में भूकंप से भीषण त्रादसी की वर्षगांठ के मौके पर करसोग में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। उपमंडलीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस मॉकड्रिल में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में बचाव व राहत के संबंध में उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों की जानकारी प्रदान की गई। एसडीएम करसोग के सभागार में इस संबंध में कार्यशाला भी आयोजित की गई। कार्यशाला में फायर विभाग की ओर से करसोग स्थित लिडिंग फायर मैन कांशी राम ने रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित हो कर भूकंप सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय में उठाएं जाने वाले बचाव संबंधी कदमों की जानकारी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में उपलब्ध राहत संसाधनों का उपयोग करते हुए राहत और बचाव कार्यों को अंजाम देना चाहिए। भूकंप आने की स्थिति में घायल लोगों को आपदा स्थल से सुरक्षित निकाल कर अस्पताल पहुचांनाए बहुमंजिला इमारतों से फंसे लोगों को बाहर निकालना और भूकंप आने की स्थिति में बचाव के संबंध में उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों और अन्य राहत कार्यों से अवगत करवाया।

घुमन्तु गुज्जरों के परमिट की हो कड़ी जांच : खुरान्टा

सवेरा न्यूज/ जतिंदर सूद (नेरवा) : गर्मी के मौसम में चौपाल के जंगलों का रुख करने वाले घुमन्तु गुज्जरों पर करणी सेना ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सेना का आरोप है कि ये लोग सरकारी अनुमति से अधिक पशु वनों में लाकर वन संपदा को क्षति पहुंचा रहे हैं। करणी सेना ने चौपाल प्रशासन से चौपाल के विभिन्न जंगलों में आने वाले इन गुज्जरों के परमिट की कड़ी जांच की मांग की है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश खुरांटा ने कहा कि ये गुज्जर परमिट में पंजीकृत पशुओं से अधिक पशु वनों में लाकर वन संपदा को तहस नहस कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि चौपाल के वनों में आने वाले इन गुज्जरों के परमिट की उत्तराखंड की सीमा मीनस और फेडिज़पुल में कड़ी जांच की जाए तथा जितने पशु परमिट में पंजीकृत है उतने ही पशुओं को वनों में लाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऐसा देखा गया है कि ये लोग परमिट से काफी अधिक संख्या में पशुओं को जंगलों में ला रहे हैं, जिस वजह से चौपाल की वन संपदा को नुक्सान हो रहा है । पशुओं की अत्याधिक संख्या की वजह से इन वनों की पहचान मानी जाने वाली कई दुर्लभ जड़ी बूटियां विलुप्त हो रहे हैं। पूर्व में भी ऐसा पाया गया है कि महज दस पशुओं के परमिट पर ये लोग सौ तक पशु इन वनों में ला रहे हैं। यदि इनकी मनमानी पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई, तो चौपाल की समृद्ध वन संपदा के नुक्सान का ख़तरा पैदा हो जाएगा । उन्होंने कहा कि करणी सेना इस मुद्दे को पिछले कई सालों से प्रशासन के समक्ष उठा रही है, परंतु अभी तक इस विषय में कोई भी ठोस कार्रवाई देखने में नहीं आई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस साल भी इस मामले में अनदेखी की गई, तो करणी सेना इनके खिलाफ अपने स्तर पर कार्रवाई करने से भी गुरेज नहीं करेगी, जिसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा ।

मुकेश खुरांटा

24 अप्रैल को प्रभावित पंचायतों के किसानों की मांगों को लेकर होगा सम्मेलन

सवेरा न्यूज/ मीनाक्षी (रामपुर बुशहर) : हिमाचल किसान सभा लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट 210 मेगावाट प्रभावित पंचायत कमेटी की बैठक वीरवार को नीरथ में हुई। बैठक में हिमाचल किसान सभा राज्य सचिव राकेश सिंघा, किसान सभा जिला महासचिव देवकी नंद, जिला अध्यक्ष प्रेम चौहान, किसान सभा लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट कमेटी की अध्यक्ष कृष्णा राणा, सचिव ओपी चौहान मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए किसान सभा जिला महासचिव देवकी नंद कहा कि लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रभावित किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले तीन वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु सरकार, प्रशासन व सतलुज जल विद्युत निगम किसानों की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नही है। आज भी कई जगह-जहां पर दरारों व प्रदूषण का सर्वे हो चुका है, उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और बाकी जगह तो अभी सर्वे भी नही किया गया है, रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो अभी तक हासिल भी किया है वह किसानों ने संगठित होकर, किसान सभा का निर्माण कर, संघर्ष करते हुए किया है। उन्होंने कहा कि किसान सभा आने वाले समय मे भी प्रभवित पंचायत के किसानों की मांगों को प्रमुखता से उठाती रहेगी। बैठक में तय किया गया कि 24 अप्रैल को प्रभावित पंचायतों के किसानों की मांगों को लेकर सम्मेलन किया जाएगा और आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। बैठक में अमित, हरदयालकपूर, भगवान दास, रमेश, काकू कश्यप, पदम, रिचा, मनोरमा, जन्मेष, निहाल, चंद, जोगिंदर, अमि चंद, गोपी चंद, शुभम, महेंद्र, फुला देवी, शीला देवी, उदय सिंह, संतीश, राम लाल, रणवीर आदि शामिल थे।

एसएमवीडीयू में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग पर कार्यशाला आयोजित

सवेरा न्यूज/आशु

जम्मू, 4 अप्रैल : श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय (एसएमवीडीयू) ने एक दिवसीय कार्यशाला की मेजबानी की। यह कार्यशाला वैज्ञानिक सहयोग-नवजय अंतर्राष्ट्रीय और पूर्व छा9 मामलों के कार्यालय द्वारा आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग के पूर्व सलाहकार और प्रमुख भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। आमंत्रित वक्ता. डॉ. वार्ष्णेय ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और विद्वानों, संकाय और संस्थानों जैसे विभिन्न

कार्यशाला में शामिल अतिथिगण।

हितधारकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अपने व्यापक अनुभव से प्रेरणा लेते हुए फोर्जिंग के महत्व को रेखांकित किया। साथ ही भारत की विभिन्न योजनाओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई। साथ ही छात्रों, विद्वानों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति और योजनाओं पर भी चर्चा की गई। प्रो. प्रगति कुमार उपकुलपति, एसएमवीडीयू ने इसकी आवश्यकता के बारे में अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया। डॉ. युगल खजूरिया (डीन, अंतर्राष्ट्रीय और पूर्व छात्र मामले) और डॉ. मीर इरफान उल हक (एसोसिएट डीन, अंतर्राष्ट्रीय और पूर्व छात्र मामले) ने भी बात की। इस अवसर पर और उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई।

अल्ताफ डार ने केटीएमएफ के अतिरिक्त महासचिव की चाची हलीमा बानो के निधन पर शोक किया व्यक्त

सवेरा न्यूज/नवीन कौल,

जम्मू, 4 अप्रैल : केटीएमएफ के महासचिव मोहम्मद अल्ताफ डार ने कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फैडरेशन ने हलीमा बानो पत्नी स्वर्गीय अब्दुल हामिद भट्ट अतिरिक्त महासचिव शौकत अहमद भट्ट की चाची के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। हलीमा बानो के इस दुनिया से चले जाने से उन्हें जानने वाले सभी लोगों के दिलों में एक खालीपन आ गया है। उनके अटूट समर्थन, दयालुता और प्यार ने कई जिंदगियों को प्रभावित किया है और उनकी उपस्थिति बहुत याद आएगी। हलीमा बानो के लिए अंतिम संस्कार की नमाज मगरिब की नमाज से पहले आयोजित की जाएगी, जिससे दोस्तों, परिवार और शुभचिंतकों को उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने का अवसर मिलेगा।

मै. यूटीएम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
(लिक्विडेशन में (कार्पोरेट डैब्टर) के मामले शुद्धिपत्र
ई-नीलामी बिक्री सूचना तिथि 03.04.2024

ई नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से मै. यूटीएम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (लिक्विडेशन) (''कार्पोरेट डैब्टर'') की ई-नीलामी के मामले में दिवाला एवं दिवालियापन सहित, 2016 और विनियम के अधीन आमतौर पर जनता को लिए नोटिस तिथि 03.04.2024 की निरंतरता में यह शुद्धिपत्र जारी किया गया है।
ई नीलामी की बिक्री सूचना तिथि 03.04.2024 में अधोलिखित संशोधन दिए गए हैं –
ब्लाक-ए प्लाइट-1 में, लॉट-1: दौसा, राजस्थान में (लाल सोट सुरंग में स्थित) संयंत्र एवं मशीनरी) ''आरक्षित कीमत (रुपए 36,97,748/- के स्थान पर) रुपए 35,56,188/- होगी तथा ईएमडी (3,70,000/- के बजाए) रुपए 3,55,600/- होगी।''
ब्लाक प्लाइट-4 में, लाट4: एकलकार (वैगन-आर) जिसका रजिस्ट्रेशन नं. डीएलएसीएएल4941 नई दिल्ली में हैं। ''आरक्षित कीमत (रुपए 85,100/- की बजाए) रुपए 1,41,560/- होगी तथा ईएमडी (रुपए 8,500/- की बजाए) रुपए 14,200/- होगी।''
ई नीलामी बिक्री सूचना तिथि 03.04.2024 के विज्ञापन के सभी अन्य विषय वस्तु पूर्ववत रहेगी
तिथि: 04.04.2024

हस्ता/-
कांति मोहन रुस्तगी
इक्विडेटर
यू.टी.एम. इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में,
रजि. नं. IBBI/IPA-002/IP-N00097/2017 18/10240
एएकए नं. AA2/10240/02/290125/203239
एएकए वैध तक 29.01.2015

सूबे में भांग की खेती को कानूनी दर्जा देने की कवायद तेज

सीओएस की बैठक में भांग की खेती के मुद्दे पर हुई चर्चा

सवेरा न्यूज/धनंजय शर्मा

शिमला, 4 अप्रैल : सूबे में भांग की खेती को कानूनी दर्जा देने की कवायद तेज हो गई है। वीरवार को सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज (सीओएस) की बैठक में भांग की खेती को कानूनी दर्जा देने के मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि इस मामले में बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका है, मगर सचिव स्तर के अधिकारियों की बैठक में चर्चा से साफ है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर तेजी से आगे बढऩा चाहती है। सनद रहे कि हिमाचल से पहले भाजपा शासित उत्तराखंड में भांग की खेती को कानूनी दर्जा मिला हुआ है। उत्तराखंड में सरकार की निगरानी में भांग की खेती होती है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार में भांग की खेती को कानूनी दर्जा देने की पहल अर्से से हो रही है। बीते साल बजट सत्र के दौरान विधान सभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। सदन में भाजपा के पूरण सिंह ठाकुर के नियम 101 के तहत लाए प्रस्ताव पर चर्चा के बाद प्रदेश में भांग की खेती को कानूनी दर्जा देने से पहले इसके अध्ययन के मकसद से राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। कमेटी उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश में भांग की खेती के मॉडल का अध्ययन कर चुकी है। बाकायदा दोनों राज्यों का अध्ययन करने के बाद लौटने पर राजस्व मंत्री ने इस बारे जल्द ही एसओपी व नियम बनाने की बात कही थी। वीरवार को सीओएस की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान भांग की खेती को लेकर केंद्र को भेजे जाने वाले ठोस प्रस्ताव के मसौदे पर सचिवों ने विचार विमर्श किया। आला अधिकारियों की इस बैठक में भांग की औषधीय और इंडस्ट्रियल प्रयोग से जुड़ी खेती के लिए बनने वाली एसओपी और उसके नियम व शर्तों के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने को लेकर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस बारे मसौदा तैयार कर केंद्र को भेजेगी। इसके लिए केंद्र के एनडीपीएस एक्ट में किए जाने वाले कुछ बदलावों के लिए सरकार को ठोस प्रस्ताव बना कर केंद्र को भेजा जाना जरूरी है। इसी प्रस्ताव के आधार पर सरकार को केंद्र और एनडीपीएस एक्ट के तय प्रावधानों में ये खेती कानूनी रूप से करने की मंजूरी मिल पाएगी।

केनरा बैंक Canara Bank
सिंडिकेट Syndicate
जम्मू शालीमार रोड शाखाः-
करण भवन, शालीमार रोड,
जम्मू-180001

सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल जायदाद के लिए)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी ने **केनरा बैंक, शालीमार रोड, जम्मू** मेन शाखा, जम्मू का अधिकृत अधिकारी होने के नाते सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनैंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समैंट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रस्ट एक्ट, 2002 के अधीन (एक्ट 54 ऑफ 2002) (इसके आगे ''दि एक्ट'' के रूप में हवाला दिया गया है) और सिक्योरिटी इंट्रस्ट (एनफोर्समैंट) रूल्ज 2002, के नियम 3 के साथ पढ़े जाते सैक्शन 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटिस के 60 दिनों के भीतर संबंधित डिमांड नोटिस (ऐं) में वर्णित राशि (यां) कर्जदार (ऐं) और गारंटर(ऐं) को, यहां निम्नवर्णित तिथियों को कर्जदार(ऐं) को डिमांड नोटिस (ऐं) जारी करके, लौटाने के लिए कहा है।
कर्जदार (ऐं)/गारंटर(ऐं) राशि (यां) लौटाने में असफल रहे हैं, नोटिस एतद् द्वारा कर्जदार(ऐं)/गारंटर(ऐं) को तथा आम तौर पर जनता को दिया जाता है, कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां निम्नवर्णित तिथियों को सिक्योरिटी इंट्रस्ट (एनफोर्समैंट) रूल्ज, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पढ़े जाते, कथित एक्ट की धारा 13(4) के अधीन पुरुष/महिला पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसमें निम्न वर्णित जायदाद(ऐं) का **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है।
कर्जदार(ऐं)/गारंटर(ऐं) को विशेष तौर पर तथा जनता को आम तौर पर एतद् द्वारा जायदाद के साथ कोई डील न करने को चेताया जाता है और जायदाद के साथ किसी भी तरह की डीलिंग निम्नवर्णित राशि के लिए **केनरा बैंक, शालीमार रोड, जम्मू मेन शाखा, जम्मू** के चार्ज का विषय होगी।

कर्जदार (ऐं) / सह-कर्जदार (ऐं) / गारंटर (ऐं) तथा मोर्टगेजर (ऐं) का नाम	चल/अचल जायदाद का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	बकाया राशि	सांकेतिक कब्जा की तिथि
कर्जदार (ऐं) :- मैसर्ज काऊंट फिटनैस जिम एंड रुपा इसके पार्टनरों के माध्यम से (1) सुखजिंदर सिंह (2) नीरज शर्मा प्रथम पता : हाऊस नं. 7, सरस्वती विहार, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। द्वितीय पताः- प्रथम तल, शांति काम्पलैक्स, नजदीक हिंदोस्तान पैंसिल फैक्टरी, अखनूर रोड, जम्मू, जेएंडके-18002। प्रथम पार्टनर और गारंटरः- सुखजिंदर सिंह पुत्र स्व. श्री अवतार सिंह, हाऊस नं. 7, लेन जीरो, सरस्वती विहार, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। द्वितीय पार्टनर और गारंटर :- नीरज शर्मा पुत्र पूर्ण चंद शर्मा, हाऊस नं. 4, लेन नं. 1, कबीर नगर, तालाब तिल्लों, जम्मू 180002 गारंटर और मोर्टगेजरः- श्रीमती सतवंत कौर पत्नी स्व. श्री अवतार सिंह, हाऊस नं. 7, लेन जीरो, सरस्वती विहार, आनंद नगर, बोहड़ी जम्मू।	चलः मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, स्टाक की हाईपोथिकेशन, शीर्षक धारक का नाम : मैसर्ज काऊंट फिटनैस	29.01.2024	रुपए 20,73,372.42 जमा ब्याज, लागत और इस पर अन्य खर्चे	02.04.2024

जिम एंड स्पा, इसके पार्टनरों के माध्यम से :- (1) सुखजिंदर सिंह, (2) नीरज शर्मा
अचलः- भूमि की एसएमटी तथा भवन परिमाप 10 मरले, खसरा नं. 955 (न्यू)/140 (ओल्ड) (मिन) खत्ता न. 48 और खेवट नं. 13 में स्थित, धमाल, जिला जम्मू में स्थित मालिक एवं काबिजकार श्रीमती सतवंत कौर पत्नी स्वर्गीय अवतार सिंह, म.नं. 7, सरस्वती विहार, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू, निम्नानुसार दिशाएं : पूर्वः श्री पुरुशोतम शर्मा का मकान, पश्चिम : 14'-0" फुट चौड़ी रोड, उत्तर - अजय पंडित का मकान, दक्षिण - खुला प्लाट शीर्षक होल्डर का नाम : श्रीमती सतवंत कौर पत्नी स्वर्गीय अवतार सिंह, वासी म.नं. 7, सरस्वती विहार, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू

दिनांक : 04.04.2024 स्थान : जम्मू (जे एंड के) अधिकृत अधिकारी

फूलों से लदे कचनार के वृक्ष बढ़ा रहे हैं जंगलों की शोभा

- **स्वाद एवं औषधीय गुणों से भरपूर है कचनार**

सवेरा ब्यूरो

शिमला, 4 अप्रैल : जुन्गा क्षेत्र के जंगलों में इन दिनों फूलों से लदे कचनार के वृक्ष जंगलों की शोभा बढ़ा रहे है। कचनार की सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ औषधीय गुणों से भरपूर है। आयुर्वेद में कचनार का उपायोग विभिन्न रोगों की दवाई बनाने के लिए किया जाता है। गौर रहे कि कचनार के वृक्ष जंगलों में स्वतः ही उगे होते हैं, जिसमें बसंत ऋतु में लगने वाली पंखुड़ियां व फूल का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों के लिए किया जाता है। जोकि विषैले तत्व से रहित व जैविक गुणों से भरपूर है। कचनार, जिसे लोग स्थानीय भाषा में करयालटी भी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग सब्जी व रायता बनाने के लिए किया जाता है। कचनार की कलियों

कचनार के फूल और कलियां के साथ पहाड़ी महिला।

का आचार बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ औषधी का काम भी करता है। आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. विश्वबंधु जोशी के अनुसार कचनार की सब्जी औषधीय गुणों से भरपूर है और कचनार की छाल का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के बनाने में भी किया जाता है। इनका कहना है कि कचनार की छाल का शरीर के किसी भाग की गांठ को गलाने में सबसे उत्तम औषधी है। इसके अतिरिक्त रक्त विकार, त्वचा रोग जैसे खाज-खुजली, एक्जीमा, फोड़े-फूंसी के उपचार में इसकी छाल उपयोग में लाई जाती है।

पीरन के वरिष्ठ नागरिक दयाराम वर्मा का कहना है कि इन दिनों गांव में जंगली शुद्ध सब्जियों की बहार आई है जिनमें कचनार, काथी की कोपलें, रामबाण के गोव्वा, फेगड़े, खड़की के कोमल पत्ते, खड्डों में उगने वाली छूछ इत्यादि जंगली सब्जियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इनका कहना है कि जंगलों में स्वतः उगी सब्जियों में भरपूर मात्रा में खनिज व पोषक तत्व है, जोकि विभिन्न रोगों के लिए रामबाण का कार्य करती है, जिसका उपयोग लोगों को हर सीजन में करना चाहिए।

एसबीआई ऋण लेने वालों व खाता धारकों की सुरक्षा के लिए चला रही है कई प्रकार की योजनाएं

सवेरा न्यूज/ मीनाक्षी

रामपुर बुशहर, 4 अप्रैल : एसबीआई विभिन्न ऋण एवं खाता धारकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस क्लेम में रिकार्ड समय में मामले सुलझा रही है, ताकि विपदा की घड़ी में प्रभावित व्यक्ति को आर्थिक तौर से परेशानी न हो। इसी प्रयास को आगे जारी रखते हुए रामपुर के डकोलड स्थित एसबीआई शाखा ने 3 महीने से भी कम समय के भीतर 20 लाख रुपए का क्लेम सेटल करवा कर विधवा औरत को लाभ पहुंचाया। एसबीआई डकोलड़ शाखा से ननखड़ी के रहने वाले करम सिंह ने गृह निर्माण के लिए 20 लाख रुपए का ऋण लिया था और ऋण रक्षा प्रोटेक्शन इंश्योरेंस प्लान में कवर करवाया था। कर्म सिंह की अचानक मौत हो गई, उसके बाद 3 महीने से भी कम समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की डकोलड सिंगला शाखा ने मृतक की पत्नी सरोज को चेक व उनके ऋण खाते में 19 लाख 79289 रुपए जमा कर ऋण मुक्त कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक के फील्ड ऑफिसर लोन दीपक भंडारी, शाखा प्रबंधक राहुल कुमार बंसल व बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर अभिषेक शर्मा ने बताया कि विभिन्न सुरक्षा योजनाओं के तहत ऋण लेने वालों को इंश्योरेंस कवर किया जाता है, ताकि किसी भी विपदा के समय उपभोक्ता को समस्याओं का सामना करना ना पड़े। उन्होंने बताया कि 3 माह से भी कम समय में कर्म सिंह की पत्नी को उनकी मौत के बाद ऋण का सारा पैसा ऋण रक्षा बीमा योजना के तहत वापस किया गया। शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक डकोलड राहुल कुमार ने बताया कि कर्म सिंह नामक व्यक्ति को 20 लाख रुपए का गृह ऋण दिया था।

TRAFFIC POLICE OFFICE CITY JAMMU
कार्यालय यातायात पुलिस (शहर) जम्मू
E.mail ssptrfcjmu@jkpolice.gov.in Contact No. 7006717327

SUBJECT: PUBLIC NOTICE.

IT IS TO INFORM THE GENERAL PUBLIC THAT THE FOLLOWING VEHICLES WERE FOUND WRONGLY PARKED ON THE ROADS OF JAMMU CITY AND THE STICKER CHALLANS WERE PASTED BY THE CHALLANING OFFICERS. AS SUCH, OWNERS ARE REQUESTED TO EITHER APPEAR THEMSELVES OR DIRECT DRIVER OF THE BELOW VEHICLES TO APPEAR IN THE OFFICE OF UNDERSIGNED ALONG WITH STICKER CHALLAN AND DOCUMENTS OF THEIR VEHICLES FOR ITS DISPOSAL/PAYMENT OF THE FINE WITHIN 10 DAYS FROM THE DATE OF PUBLISHING OF THIS NOTICE OTHERWISE YOUR VEHICLE WILL BE BLACKLISTED FROM THE CONCERNED RTO'S/ARTO'S.

Vehicle Nos.	Vehicle Nos.	Vehicle Nos.	Vehicle Nos.
PB35Z1579	JK02AF9351	J K068792	JK02AT7595
JK02CH1809	J K 0 2 C N 8 2 8 1	JK08K4108	JK02BC8444
PB08BJ7286	PB35R9110	JK02AM0636	JK20B0268
JK02AN3443	JK02AK9208	JK12A9413	JK14G9773
JK02CC7389	HR26BP6721	JK02AG0205	JK02BX9200
JK02AT9348	JK21J7128	JK11D4971	JK02CD0971
JK02AN3443	JK06A8037	JK02BG5361	JK02BV2011
JK02CL5587	JK02DB6037	DL2CQ9512	JK02CN0488
JK21 F2777	JKO2CU0012	JKO2BT3051	JK06B3078
JK02CU3615	JK02CG0422	JK11E0080	JK06A9504
JK02CR9967	JK06A6149	JK211566	JK01W2696
JK12A3437	PB05V9269	PB35X5789	JK08H7398
JK21D3452	JK02BB7400	JK14H7479	JK02DF7109
JK02R2133	DL7CQ6764	JK01V1902	JK21J2222
JK062675	JK02AC3209	JK02AH6066	JK02DG9870
JK01AB1008	JK01T8193	JK02CU2735	JK02CM0486
DL12CA2791	JK02BQ0924	JK02AS9217	J K069244
JK02BT5237	JK01 N0060	JK02R2536	JK02CS1030
JK02DE4791	JK02AJ8999	JK02CG6205	J K 0 2 B L 2 4 5 8
JK02CL7716	JK02AF2900	JK14D4486	JK12A5592
JKO2CU 1966	----------	----------	----------

DIP/J-40/24
DATED:- 05-04-2024
Sr. Superintendent of Police
Traffic City Jammu.

कांवटिया अस्पताल प्रकरण : पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस

खुले में प्रसव के दोषी तीन रेजीडेंट चिकित्सक निलंबित

महानगर संवाददाता

जयपुर। कांवटिया अस्पताल में गर्भवती महिला का खुले में प्रसव होने के प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए तीन रेजीडेंट चिकित्सकों डॉ. कुसुम सैनी, डॉ. नेहा राजावत एवं डॉ. मनोज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने प्रकरण में पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए जिम्मेदार अस्पताल अधीक्षक डॉ. राजेन्द्र सिंह तंवर को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा शुभ्रा सिंह ने बताया कि प्रकरण सामने आने पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया रेजीडेंट डॉक्टर डॉ. कुसुम सैनी, डॉ. नेहा राजावत एवं डॉ. मनोज की गंभीर लापरवाही एवं संवेदनहीनता सामने आई है। जांच समिति की रिपोर्ट के उपरांत एसएमएस मेडिकल कॉलेज की अनुशासनात्मक समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार इन तीनों रेजीडेंट चिकित्सकों को निलंबित किया गया है। साथ ही पर्यवेक्षणीय लापरवाही के लिए अस्पताल अधीक्षक डॉ. राजेन्द्र सिंह तंवर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा सिंह ने कहा कि बुधवार को जयपुर के कांवटिया अस्पताल में एक महिला का अस्पताल के गेट पर प्रसव होने का मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। मानवीयता से जुड़े चिकित्सकीय पेशे में ऐसे असंवेदनशील व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के चलते चिकित्सकों ने गर्भवती महिला को जनाना अस्पताल रेफर करने की सलाह दी थी, लेकिन स्पष्ट रूप से रेफर नहीं किए जाने के कारण भ्रामक स्थिति पैदा हुई और महिला अस्पताल से बाहर आ गई तथा उसका खुले में प्रसव हो गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि मानवीय एवं जनसेवा से जुड़े इस पेशे से संबंधित सभी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य कार्मिकों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए। आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराना एवं जीवन रक्षा ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि असंवेदनशील व्यवहार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बर्दाश्त नहीं करेगा। कहीं भी ऐसा मामला सामने आता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि कांवटिया अस्पताल में खुले में प्रसव प्रकरण संज्ञान में आते ही अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग के उच्च अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से मौके पर भेजा था। साथ ही अगले दिन ही विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी थी।

मुख्यमंत्री का त्वरित निर्णय मातृशक्ति के सम्मान और गरिमा की रक्षा का सशक्त कदम : गोपाल शर्मा

जयपुर। सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। इस विषय में त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई किए जाने का यह न्यायपूर्ण निर्णय मातृशक्ति के सम्मान और गरिमा की रक्षा का सशक्त कदम है। सरकार पीड़ित परिवार को सहयोग और न्याय दिलाने के लिए तत्पर है।

ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए प्रत्येक स्तर पर व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में विधायक शर्मा पीड़ित परिवार से निरंतर संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए दोषी चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। शर्मा ने व्यक्तिगत स्तर पर पीड़ित परिवार का आर्थिक सहयोग भी किया और शीघ्र न्याय दिलवाने का वादा किया था।

कार्यालय उपायुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज

क्रमांक:- एफ-56 ( ) सि.ला.जो./ननिज/2024/09 दिनांक:- 03/04/2024

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे लिखे व्यक्तियों द्वारा आयोजना शाखा द्वितीय में संधारित योजनाओं में नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। इस नाम हस्तान्तरण बाबत् कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन तिथि से 07 दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आक्षेप नहीं है और मामलें का तद्नुसार निपटारा किया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	आवेदन स्थल का पता	आवेदन स्थल का क्षेत्रफल
1.	श्रीमती कल्पना शर्मा	श्री भगवान सहाय जोशी	6 योजना गणेश नगर (निजी खातेदारी), सोडाला, जयपुर।	188.88 व.ग.

उपायुक्त
सिविल लाईन जोन
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई–निविदा सूचना

ई–निविदा सूचना संख्या 01 to 05–24–25 मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर भारत के राष्ट्रपति की ओर से इच्छुक ठेकेदारों से निम्न लिखित कार्य के लिए दिनांक 25.04.2024 को 15.00 बजे तक खुली ई–निविदा आमंत्रित करते है। **निविदा संख्याः 01 कार्य का नाम व स्थानः** सहायक मण्डल इंजीनियर, उ.प. रेलवे, सादुलपुर के अधीन रेवाड़ी–सादुलपुर खण्ड पर टीबीआर (71.88 किमी.) के संबंध में नावां, लोहारू, खुशालपुरा, गुगलवा किरतान, बेवड़ भोजान, कांधरान व सादुलपुर स्टेशनों पर विविध कार्यों की आवश्यकता। **अनुमानित लागत मूल्यः** Rs. 12467298.52; **धरोहर राशिः** Rs. 212300.00; **निविदा संख्याः 02 कार्य का नाम व स्थानः** सहायक मंडल इंजीनियर/मुख्यालय, बीकानेर के अधीन बीकानेर स्थित वर्कशॉप में मौजूदा एयर ब्रेक सेक्शन के विस्तार के संबंध में धूल मुक्त वातानुकूलित डीवी और एसएबी वर्क स्टेशन के संबंध में सिविल इंजीनियरिंग कार्य तथा सेलेक्टिव पैलेट रैकिंग सिस्टम के प्रावधान के साथ एयर ब्रेक स्टोर के नवीनीकरण का कार्य। **अनुमानित लागत मूल्यः** Rs. 10814279.97; **धरोहर राशिः** Rs. 204100.00; **निविदा संख्याः 03 कार्य का नाम व स्थानः** सहायक मंडल इंजीनियर/मुख्यालय, बीकानेर के अधीन बीकानेर स्थित वर्कशॉप में दूल शॉप, मिलराइट व एयर ब्रेक स्टोर के मौजूदा शेडों को बदलने के साथ–साथ आवश्यक बुनियादी ढाँचे जैसे वैली गटर, डाउन पाईप, मौजूदा शेडों में लोहे के ड्रेन कवर के साथ ड्रेन चैनल और ट्रैवर्स पाथ का खुला क्षेत्र, ड्रेन चैनलों को मॉजूदा से जोड़ना, वर्षा जल संचयन संरचना, 75000 लीटर क्षमता के अतिरिक्त वर्षा जल भंडारण तालाब के प्रावधान के साथ मौजूदा वर्षा जल भंडारण टैंक की भण्डारण क्षमता में वृद्धि करना। **अनुमानित लागत मूल्यः** Rs. 8107977.70; **धरोहर राशिः** Rs. Rs. 162200.00; **निविदा संख्याः 04 कार्य का नाम व स्थानः** वरि. मण्डल इंजीनियर/पश्चिम, बीकानेर के क्षेत्राधिकार में मुख्य लाईन खण्ड के टीएसईजे (60केजी)–14 सेट एवं टीएसईजे (52केजी)–25 सेट के रिन्यूअल का कार्य। **अनुमानित लागत मूल्यः** Rs. 2368736.45; **धरोहर राशिः** Rs. 47400.00; **निविदा संख्याः 05 कार्य का नाम व स्थानः** बीकानेर स्थित रेलवे ग्राउण्ड में स्टेण्ड पाईप के सहारे प्रेक्टिस पिच के चारों ओर नेट कवरिंग युक्त चार नम्बर प्रेक्टिस पिच (1–सीमेन्ट पिच, 1– कोटा स्टोन पिच, 2– टर्फ पिच) को विकसित करना। **अनुमानित लागत मूल्यः** Rs. 1160418.11; **धरोहर राशि :** Rs. 23200.00; नोटः अन्य शर्तें रेलवे की वेब साइट **www.ireps.gov.in** पर देखी जा सकती है। **428-AN/24**

हमें / NWRailways पर फॉलो करें

कार्यालय उपायुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज

क्र. : एफ-56()सि.ला.जो./ननिज/2024/8956 दि. : 29.03.2024

प्रारूप–5
नियम–6 (2)
आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे अंकित आवेदकों द्वारा नगर निगम जयपुर हैरिटेज सिविल लाईन जोन क्षेत्राधिकार में स्थिर भूमि बाबत् 69-क, योजना, स्टेट ग्रान्ट एक्ट, कच्ची बस्ती वाणिज्य पट्टे एवं नाम हस्तान्तरण/उपविभाजन की कार्यवाही बाबत आवेदन किये है। अतः किसी हितधारी/संस्था/व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन तिथि से 07 दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आक्षेप नहीं है और मामलें का तदानुसार निपटारा किया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	आवेदक स्थल का पता	आवेदन स्थल का क्षेत्रफल
1	1. चिराग झालानी 2. राघव झालानी 3. पार्थ झालानी	श्री रमेश झालानी श्री दिनेश झालानी श्री नरेश झालानी	होरूम स्थित जागिड़ भवन, गिर्जा इरगाइल रोड, जयपुर	167.95 वर्गगज (140.42 वर्गमीटर)

उपायुक्त/राजस्व अधिकारी, सिविल लाइन जोन, नगर निगम, जयपुर हैरिटेज

कार्यालय उपायुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज

क्र. : एफ-56()सि.ला.जो./ननिज/2024/8956 दि. : 29.03.2024

प्रारूप–5
नियम–6 (2)
आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे अंकित आवेदकों द्वारा नगर निगम जयपुर हैरिटेज सिविल लाईन जोन क्षेत्राधिकार में स्थिर भूमि बाबत् 69-क, योजना, स्टेट ग्रान्ट एक्ट, कच्ची बस्ती वाणिज्य पट्टे एवं नाम हस्तान्तरण/उपविभाजन की कार्यवाही बाबत आवेदन किये है। अतः किसी हितधारी/संस्था/व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन तिथि से 07 दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आक्षेप नहीं है और मामलें का तदानुसार निपटारा किया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	आवेदक स्थल का पता	आवेदन स्थल का क्षेत्रफल
1	1. श्रीमती अंजू कावरा 2. रामकृष्ण कावरा	श्री रामकृष्ण कावरा	भूखण्ड संख्या बी-94, सौमू हाउस, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर	676 व.ग. (565.20 व.मी.) व अतिरिक्त भूमि 434.84 (363.56 व.मी.) = 1110.84 व.ग.

उपायुक्त/राजस्व अधिकारी, सिविल लाइन जोन, नगर निगम, जयपुर हैरिटेज

लोक सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः LU2012/JDA/2023-24/103371 दिनांकः 28.03.2024

मैसर्स राज सरोवर पंजीकृत कार्यालय ई-2/185, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर जरिये पार्टनर श्रीमती मधु दायमा पत्नि श्री राजेंद्र प्रसाद दायमा निवासी प्लाट नं. 1 ई- 2/185, चित्रकूट वैशाली नगर, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का होटल सर्विस प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र. स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल हैक्ट.
1.	नासनोता, मौजमाबाद (जयपुर)	मैसर्स राज सरोवर पंजीकृत कार्यालय ई-2/185, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर जरिये पार्टनर श्रीमती मधु दायमा पत्नि श्री राजेंद्र प्रसाद दायमा, रजत दायमा पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद दायमा, मनीष दायमा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद दायमा निवासी प्लाट नं. 1 ई-2/185. चित्रकूट वैशाली नगर, जयपुर	976/277 कुल किता 01	2.5000 हैक्ट. में से 1.167 हैक्ट. 2.5000 हैक्ट में से 1.167 हैक्ट.

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है। तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर- भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियत समय के भीतर -भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 28-03-2024 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी जोन- 12, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुतफरिक) वाद सं. 2405/2024

विषय : उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थीगण – 1. डॉ. संजीव भटनागर पुत्र स्व. श्री रणवीर सहाय वर्मा, उम्र 60 वर्ष, निवासी मकान नम्बर-20/39, रेवू पथ, हाउसिंग बोर्ड गेस्ट हाउस के पीछे, मानसरोवर, जयपुर (राज.) 302020, **2.** अपर्णा भटनागर पत्नी श्री मनोज भटनागर पुत्री स्व. श्री रणवीर सहाय वर्मा, उम्र 59 वर्ष, निवासी-23, माधव बंगलोज, 2, मोटेरा, अहमदाबाद गुजरात-382424, **3.** प्रवीर भटनागर पुत्र स्व. श्री रणवीर सहाय वर्मा, उम्र 58 वर्ष, निवासी जे - आई-2, ज्ञान विहार बस्ती, पार्ली, राजस्थान-306401 हाल निवासी डी-644, गाँधी नगर, जयपुर। **4.** अनुराधि पत्नी श्री लवनीश भटनागर पुत्री स्व. श्री रणवीर सहाय वर्मा, उम्र 52 वर्ष, निवासी डी-60, मनोज विहार, नीति खण्ड, 3, जयपुरिया मार्ग इन्दिरापुरम के पास, शिप्रा सन सिटी, शिप्रा सन सिटी सी, गाजियाबाद-उत्तर प्रदेश-201014 हाल निवासी एफ-2105, आर.जी. रेजीडेन्सी, सैक्टर-120, नोएडा, उत्तरप्रदेश

विवाद स्थान-
मृतक स्व.
1. श्री रणवीर सहाय वर्मा पुत्र स्व. श्री बृजनन्दन सहाय वर्मा
2. श्रीमती विनोद वर्मा पत्नी श्री रणवीर सहाय वर्मा,
मकान नम्बर-20/39, रेवू पथ, हाउसिंग बोर्ड गेस्ट हाउस के पीछे, मानसरोवर, जयपुर (राज.) 302020 की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक 30.04.2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/ प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक 1. श्री रणवीर सहाय वर्मा पुत्र स्व. श्री बृजनन्दन सहाय वर्मा एवं 2. श्रीमती विनोद वर्मा पत्नी श्री रणवीर सहाय वर्मा, मकान नम्बर-20/39, रेवू पथ, हाउसिंग बोर्ड गेस्ट हाउस के पीछे, मानसरोवर, जयपुर (राज.) 302020 का उत्तराधिकार स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 30 माह 04 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 26 माह 03 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थीण ने मृतकगण रणवीर सहाय व श्रीमती विनोद वर्मा के नाम प्रा.पत्र के परिशिष्ट ए में वर्णित संपत्ति बाबत उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र चाहा है।

मुहर
आज्ञा न्यायालय से
वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर प्रथम

जोधपुर विकास प्राधिकरण की जमीन का मामला

गहलोत ने अपने रिश्तेदारों को 15 करोड़ की जमीन महज 3.67 करोड़ में दिलाई : चतुर्वेदी

महानगर संवाददाता

जयपुर। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार के 2008-13 के कालखंड में विभिन्न घोटाले हुए थे। वर्ष 2012 में तत्कालीन सीएम गहलोत ने चौहान बंधुओं को लाइम स्टोन की खानें अवैधानिक ढंग से आवंटित कर एक हजार करोड़ का घोटाला किया था। उसी तरह इस बार भी उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बिना नीलामी के कीमती जमीन सस्ती दरों पर दिलाकर उपकृत किया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने गहलोत के दबाव में 15 करोड़ की जमीन महज 3.67 लाख में उनके रिश्तेदारों को दे दी। इस नियम विरुद्ध बेचान के खिलाफ नगरीय विकास विभाग में जांच विचाराधीन है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय रीट से लेकर एसआई भर्ती परीक्षा सहित कुल 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और लाखों युवाओं के सपनों पर पानी फिर गया। गहलोत सरकार में पेपर लीक की इतनी घटनाएं होने के बावजूद पेपर माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश में भाजपा की भजनलाल सरकार बनने के बाद लगातार पेपर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अभी तक 64 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इतिहास में पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है, जब ट्रेनिंग करने वाले 29 सब-इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया गया है।

राणौत के खिलाफ बेहद घटिया बयान दिया : राठौड़

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राखी राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की नारी शक्ति के प्रति किस प्रकार की मानसिकता है, वह लगातार उनके बयानों से नजर आती है। पहले राहुल गांधी ने शक्ति का अपमान किया और अब रणदीप सुरजेवाला ने महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है।

इससे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी कंगना राणौत के खिलाफ बेहद घटिया बयान दिया था। जो प्रियंका गांधी कहती थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं उनकी पार्टी के नेताओं के बयान सुनकर तो नहीं लगता कि वो महिलाओं के हितों के लिए लड़ेंगी।

मतदाताओं को किया जागरूक

महानगर संवाददाता

जयपुर। इंटरनेशनल वैश्य फैडरेशन और रोटरी क्लब जयपुर के तत्वावधान में गुरुवार को जेएलएन मार्ग स्थित गौरव टावर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जयपुर नगर परिषद की सीईओ शिल्पा सिंह थी। संयोजक इंटरनेशनल वैश्य फैडरेशन जिला जयपुर के अध्यक्ष रोटेरियन सुधीर जैन गोधा ने बताया कि कार्यक्रम को मुख्य उद्देश्य मतदान के लिए लोगों को जागरूक करना था। सिंह ने उपस्थित जनसमूह से अनुरोध किया कि मतदान प्रत्येक भारतीय का मूल अधिकार है इसलिए प्रत्येक भारतीय को लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान करने के अधिकार पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए। रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन के अध्यक्ष राजेश गंगवाल ने भी विचार रखे। इस अवसर पर क्वीज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। ए.आर. रहमान फेम डॉ. गौरव जैन और नीलम शर्मा ने सुमधुर गीतों की प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर रिटायर्ड जस्टिस दीपक महेश्वरी, पूर्व मुख्य सचिव अशोक जैन, रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर, सीए संजय पाबुवाल, रोटेरियन कमल बड़जात्या, इंटरनेशनल वैश्य फैडरेशन के कोषाध्यक्ष आर.के. गुप्ता, रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन के कोषाध्यक्ष रोटेरियन संजय अग्रवाल, लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन ओ.पी. गग्गड़, सुरजाराम मील, असगर अली, शकुन ग्रुप के जे डी माहेश्वरी, राजेंद्र बरडिया, लायन पराग श्रीवास्तव, अजीत सक्सेना, जेएसजीआई एफ नार्थ रीजन के चेयरमैन महेंद्र सिंघवी सहित गणमान्यजन और आमजन उपस्थित रहे।

'स्वास्थ्य का अधिकार' बिल की बनी सहमति एक साल बाद भी लागू नहीं, निजी चिकित्सकों में आक्रोश

महानगर संवाददाता

जयपुर। राज्य सरकार और चिकित्सकों के बीच 'स्वास्थ्य का अधिकार' बिल को लेकर बनी सहमति को एक साल बीत जाने के बाद भी लागू नहीं किया जा सका है। इस मामले को लेकर गुरुवार को जेएमए सभागार में आईएमए और जेएमए के प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता की। प्रदेश के आईएमए अध्यक्ष डॉ. रजनीश शर्मा ने बताया कि आरटीएच बिल को लेकर निजी चिकित्सकों के बीच एक वर्ष पूर्व सरकार से समझौता हुआ था, लेकिन एक साल बीत जाने के बावजूद भी निजी अस्पतालों की मांगों के नियम लागू नहीं किए गए हैं। समझौते में इस बिंदु पर भी सहमति व्यक्त की गई कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चल रहे अस्पतालों का 'कोटा मॉडल' की तर्ज पर नियमितीकरण करने पर विचार किया जाएगा। कोटा मॉडल के तहत उन अस्पतालों के भवनों को नियमों में शिथिलता प्रदान कर नियमित करने पर विचार किया जाएगा, जो आवासीय परिसर में चल रहे हैं। इस मौके पर आईएमए उपाध्यक्ष डॉ. राहुल कट्टा, कोषाध्यक्ष डॉ. एन के अग्रवाल, जेएमए अध्यक्ष डॉ. तरुण ओझा, सचिव डॉ. अनुराग शर्मा उपस्थित रहे।

ये नियम होने थे लागू, नहीं ली सरकार ने सुध

समझौते के अनुसार आंदोलन के दौरान दर्ज पुलिस और अन्य केस वापस लिए जाएंगे। निजी अस्पतालों को लाइसेंस और अन्य स्वीकृतियां जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाए जाने पर विचार किया जाएगा। निजी अस्पतालों को फायर एनओसी प्रत्येक पांच साल में देने के बिंदु पर विचार किया जाएगा। साथ ही यह भी सहमति व्यक्त की गई कि भविष्य में स्वास्थ्य के अधिकार कानून से संबंधित नियमों में बदलाव आईएमए के प्रतिनिधियों से चर्चा कर किया जाएगा, जो अब तक लागू नहीं किया गया है।

जर्मन पर्यटक से दुष्कर्म करने वाले मोहंती को सरेंडर के आदेश

महानगर संवाददाता

जयपुर। प्रदेश के अलवर में जर्मन पर्यटक से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त बित्रिहोत्रा मोहंती उर्फ बिट्टी मोहंती को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी माना है। इसके साथ ही अदालत ने मोहंती को दो माह में जेल प्रशासन के समक्ष सरेंडर करने को कहा है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह आदेश मोहंती की एसएलपी को खारिज करते हुए दिए। गौरतलब है कि अलवर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 20 मार्च, 2006 को जर्मन पर्यटक से दुष्कर्म करने के मामले में तत्कालीन आईपीएस अधिकारी के पुत्र बित्रिहोत्रा उर्फ बिट्टी मोहंती को दोषी माना था। इसके साथ ही अदालत ने 12 अप्रेल, 2006 को मोहंती को सात साल की सजा और दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया था। इस आदेश के खिलाफ पेश अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना था। दूसरी ओर निचली अदालत से मिली सजा काटने के दौरान 20 नवंबर, 2006 को मोहंती को मां की बीमारी के आधार पर पन्द्रह दिन की पैरोल मिली थी। जिसके चलते चार दिसंबर, 2006 को उसे वापस जेल में जाना था, लेकिन वह फरार हो गया। वहीं पुनः गिरफ्तार होने के बाद निचली अदालत ने 16 अक्टूबर, 2014 को फरार होने के मामले में तीन माह की सजा सुनाई थी। अदालत ने दुष्कर्म प्रकरण में सजा पूरी होने के बाद यह तीन माह की सजा भुगतने को कहा था। इस आदेश को मोहंती ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि दोनों सजाओं को एक साथ चलाया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में मोहंती की याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं मूल मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश एसएलपी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मोहंती को 31 मार्च, 2017 को जमानत पर रिहा कर दिया था।

उत्तर पश्चिम रेलवे

खुली ई–निविदा सूचना

व.मं.बि.इंजी. (टीआरडी), उ.प.रे., जयपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कोई भी मैन्युअल टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा और अगर कोई मैन्युअल टेण्डर प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। **क्र.सं.1. एनआईटी संख्याः** ईएल– टीआरडी–जेपी–2024–25–01; **कार्य का नामः** टीआरडी वर्क इन कनेक्शन विथ डबल बूम अरेन्जमेंट एट एलसी न. –41 (जयपुर–सवाईमाधोपुर सेक्शन) एण्ड एलसी न.–3 (रेवाड़ी–रींगस सेक्शन) ऑफ जयपुर डीविजन। **अनुमानित लागतः** 7,84,022.63; **बिड सिक्युरिटि राशि (रु):** 15,700.00; **निविदा खोलने की तिथिः** 30.04.2024; **2. एनआईटी संख्याः** ईएल–टीआरडी–जेपी–2024–25–02; **कार्य का नामः** शिफटिंग ऑफ पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन ऑफ जयपुर टीएसएस एण्ड फुलेरा टीएसएस इन जयपुर–अजमेर जयपुर डीविजन। सेक्शन **अनुमानित लागतः** 1,15,97,355.05; **बिड सिक्युरिटि राशि (रु):** 2,08,000.00; **निविदा खोलने की तिथिः** 30.04.2024; **नोटः ई–निविदा की अंतिम तिथि एवं समयः** निविदा खोलने की तिथि को 15:00 बजे तक; **ई–निविदा खोलने की तिथि एवं समयः** निविदा खोलने की तिथि को 15:00 बजे बाद; **सम्पूर्ण जानकारी के लिये वेबसाइट का पताः** http:// www.ireps.gov.in

426-AN/24

हमें / NWRailways पर फॉलो करें

शुद्धिपत्र–ई–नीलामी विक्रय मेसर्स यूटीएम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) ('कॉर्पोरेट देनदार') के मामले में दिनांक 03.04.2024 का नोटिस

यह शुद्धिपत्र दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और मेसर्स यूटीएम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) ("कॉर्पोरेट देनदार") की ई-नीलामी मंच के माध्यम से ई-नीलामी के मामले में विनियमों के तहत सामान्य रूप से जनता को दिए गए दिनांक 03.04.2024 के नोटिस की निरंतरता में जारी किया गया है। ई नीलामी विक्रय सूचना दिनांक 03.04.2024 में निम्नलिखित **संशोधन किए गए हैं: ब्लॉक ए पॉइंट-1, लॉट -1 में: दौसा, राजस्थान में प्लांट और मशीनरी (लालसोट सुरंग पर स्थित)। "आरक्षित मूल्य रु. 35,56,188/- (रु. 36,97,748/- के स्थान पर) और ईएमडी रु. 3,55,600/- (रु. 3,70,000/- के स्थान पर) होगी।**

ब्लॉक ए पॉइंट -4, लॉट 4 में: सिंगल कार (वैगन-आर) जिसका पंजीकरण नंबर-डीएल 9सी एएल 4941, नई दिल्ली है- "आरक्षित मूल्य 1,41,560/- रुपये (रु. 85,100/- रुपये के स्थान पर) और ईएमडी 14,200/- (रु. 8,500/- के स्थान पर) होगी। ई-नीलामी विक्रय सूचना दिनांक 03.04.2024 के विज्ञापन की अन्य सभी सामग्री यथावत रहेगी।

दिनांकः 04.04.2024

हस्ताक्षरित/-
कांति मोहन रुस्तगी परिसमापक
यूटीएम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पंजी. क्र. :आईबीबाई/आईपीए-002/आईपी-एन00097/2017-18/10240 एएफए संख्याः एए2/10240/02/290125/203239 एएफए 29.01.2015 तक वैध

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India — शाखा:-दुर्गापुरा (13057) महारानी फार्म, जयपुर-302018 — स्वर्ण आभूषण नीलामी सूचना

**भारतीय स्टेट बैंक , ने नीचे उल्लिखित उधारकर्ता को स्वर्ण आभूषण गिरवी रखने पर स्वर्ण ऋण प्रदान किया था। उन्हें ब्याज सहित राशि के पुनर्भुगतान की मांग करते हुए नोटिस जारी किया गया है। चूंक